

तृतीय संस्करण



की प्रस्तुति

न्यायाभ्या

न्याय की किरण



ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएवसीआर एवं
आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एचसीआर
एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
द्वारा प्रस्तुत

न्यायाभा-न्याय की किरण

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय की त्रैमासिक ई-पत्रिका)



संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली
(मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)



माननीय न्यायमूर्ति
श्री अजित कुमार
अध्यक्ष



माननीय न्यायमूर्ति
श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा
सदस्य



माननीय न्यायमूर्ति
श्री विक्रम डी. चौहान
सदस्य



माननीय न्यायमूर्ति
श्री सौरभ श्याम शमशेरी
सदस्य

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एचसीआर
एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ए.आई.कमेटी

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के जनमानस को उनकी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय उपलब्ध कराकर उनमें विधिक जागरूकता फैलाने के लिए, 23 जनवरी, 2023 को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायमूर्तिगण को पत्र भेज कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक ए. आई. कमेटी के गठन का निर्देश दिया, जिसके अनुपालन में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी, उच्च न्यायालय का गठन 25 जनवरी, 2023 को हुआ।

कमेटी का प्रथम गठन माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी, अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान, सदस्य के रूप में हुआ। 29 मार्च, 2023 को माननीय न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला, अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, सदस्य के रूप में कमेटी को पुनर्गठित किया गया। 09 मई, 2023 को माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, अध्यक्ष एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान, सदस्य के रूप में कमेटी का पुनर्गठन हुआ। इस पूरी प्रक्रिया अवधि में ही, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व लखनऊ पीठ, लखनऊ में स्वतंत्र सुवास प्रकोष्ठ का गठन 16 अगस्त, 2023 को हुआ। दिनांक 26 फरवरी, 2024 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के निर्देशानुसार ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय-पत्रिका (e-AHCR) के प्रकाशन हेतु 28 फरवरी, 2024 को माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उक्त कमेटी के तीसरे सदस्य के रूप में नामित किया गया। दिनांक 25 जनवरी, 2025 को माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान की सेवानिवृत्ति के बाद 02 सदस्यीय कमेटी कार्यरत रही। तदोपरान्त दिनांक 06 अगस्त, 2025 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश द्वारा कमेटी का पुनर्गठन, उच्च न्यायालय ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी एवं ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी तथा इंडियन लॉ रिपोर्टर व उसके ऑनलाइन संस्करण के प्रकाशन, वितरण एवं विक्रय हेतु समिति (संक्षेप में ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) के नाम से किया गया, जिसमें वर्तमान में माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा, सदस्य के रूप में नामित हैं।

सुवास प्रकोष्ठ, उक्त कमेटी के निर्देशन में सुवास प्रकोष्ठ अब तक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के 40,000 से अधिक निर्णयों का अनुवाद कराकर ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका में प्रकाशित कर चुका है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न लगभग 302 निर्णयों का अनुवाद कराकर प्रकाशित किया जा चुका है। भविष्य में सुवास प्रकोष्ठ का प्रयास, उक्त कमेटी के निर्देशानुसार, “रियल टाइम” अनुवाद को वर्तमान से और भी आगे ले जाने का होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय की ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी के निरंतर मार्गदर्शन एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी के सघन पर्यवेक्षण और दिशानिर्देशों के फलस्वरूप सुवास प्रकोष्ठ द्वारा ई-निर्णय पत्रिका, त्रैमासिक ई-पत्रिका, ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णयों की शृंखला, इत्यादि का प्रकाशन किया जा रहा है।

संपादकीय

“प्रिय पाठकगण,”

यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सुवास प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित गैर-न्यायिक त्रैमासिक ई-पत्रिका ‘न्यायाभा - न्याय की किरण’ की तृतीय आवृत्ति पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस ई-पत्रिका के प्रथम दो संस्करणों को मिली प्रशंसा और प्रोत्साहन ने हमें इस संस्करण को श्रेष्ठतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस संस्करण में विधि क्षेत्र के विविध लेखों, संस्मरणों, स्मृतियों आदि के साथ-साथ अद्यतन मूलभूत विषयों को समाहित किया गया है, जिससे यह पत्रिका विधि विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं एवं आम जनमानस के लिए अधिक उपयोगी बन सके।

गैर न्यायिक क्षेत्र के लेखों, संस्मरणों, स्मृतियों आदि को समर्पित, इस ई-पत्रिका के तृतीय संस्करण में भारत के प्रसिद्ध न्यायविद् और संवैधानिक स्वतंत्रता के रक्षक एन. ए. पालकीवाला द्वारा विरचित ‘वया हमें अपना संविधान बदलना चाहिए?’; माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ द्वारा संरचित ‘इतिहास लेखन- इतिहास निर्माण’; माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा द्वारा रचित ‘अवध के मुख्य न्यायालय से गोमती नगर स्थित वर्तमान उच्च न्यायालय तक का सफर’; माननीय न्यायमूर्ति शशि कांत गुप्ता द्वारा लिपिबद्ध ‘न्याय के तराजू को संतुलित करना: किशोर न्याय का आगमन’; माननीय न्यायमूर्ति जी. पी. माथुर द्वारा प्रणीत ‘कुछ छोटी बातें जो मुझे याद हैं’; माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा लिखित ‘नैतिकता एवं विधि व्यवसाय’ आदि लेखों को समेकित किया गया है। इसके अतिरिक्त पाठकगणों के लिए द्वितीय तिमाही के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची (अप्रैल 2025 से जून 2025 तक) एवं द्वितीय तिमाही के पूर्ण पीठ के निर्णयों की सूची (अप्रैल 2025 से जून 2025 तक) का प्रकाशन किया गया है।

इस तृतीय संस्करण की तैयारी में विशेषज्ञों एवं पाठकों की टिप्पणियों का विशेष ध्यान रखा गया है। हमें आशा है कि यह संस्करण भी अपने पूर्व संस्करणों की तरह पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अंत में, उन सभी पाठकों, न्यायविदों एवं सहयोगियों का आभार, जिनके सहयोग एवं सुझावों ने इस कृति को समृद्ध किया। आप अपने सुझाव हमें ई-मेल के माध्यम से editorialboard-suvascell@gmail-com पर भेज सकते हैं, हम इस पत्रिका को उत्कृष्ट बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं।

धन्यवाद
संपादक मंडल

अस्वीकरण

पत्रिका में प्रकाशित अंशों/लेखों को ए.आई. तकनीक का प्रयोग करके अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित पाठ की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/सुवास प्रकोष्ठ, उत्तरदायी नहीं होगी।

अगर आप मूल लेखों को पढ़ना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए उनका स्रोत अनुक्रमणिका में मूल स्रोत के अंतर्गत दिया गया है।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषयवस्तु	मूल स्रोत	पृष्ठ संख्या
1.	क्या हमें अपना संविधान बदलना चाहिए? द्वारा श्री एन. ए. पालकीवाला	https://indianliberals.in/liberals/should-we-alter-our-constitution.pdf	08
2.	न्याय के तराजू का संतुलन: किशोर न्याय का आगमन द्वारा न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता	https://www.allahabadhighcourt.in/sesquicentennial/voll/150_Content%2010-III.pdf	14
3.	कुछ छोटी बातें जो मुझे याद हैं द्वारा न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर	https://www.allahabadhighcourt.in/sesquicentennial/voll/150_Content%2011-III.pdf	18
5.	इतिहास लेखन - इतिहास निर्माण द्वारा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ	https://www.allahabadhighcourt.in/sesquicentennial/voll/150_Content%2003.pdf	24
6	अवध के मुख्य न्यायालय से गोमतीनगर स्थित वर्तमान उच्च न्यायालय तक की यात्रा द्वारा न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार अरोरा	https://www.allahabadhighcourt.in/sesquicentennial/Court/Gavel_and_pen_vol2.pdf (from page nos. 102 to 109)	26
6.	नैतिकता और कानूनी पेशा द्वारा न्यायमूर्ति अशोक भूषण	https://www.allahabadhighcourt.in/sesquicentennial/voll/150_Content%2010-II.pdf	29
7.	द्वितीय तिमाही 2025 के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची (अप्रैल से जून तक)		32
8	द्वितीय तिमाही 2025 के पूर्ण पीठ के निर्णयों की सूची (अप्रैल से जून तक)		53



न्यायाभा-न्याय की किरण

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय की त्रैमासिक इ-पत्रिका)

की प्रस्तुति

क्या हमें अपना संविधान बदलना चाहिए?

द्वारा श्री एन. ए. पालकीवाला,

अत्यंत मर्मज्ञ एवं विद्वान न्यायाधीशों में से एक लॉर्ड मैकनाघटन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में टिप्पणी की थी कि उन्होंने अपना सारा जीवन विधि के अध्ययन में बिताया, जिसके उपरान्त वे आश्चर्य हो गये कि इसमें कुछ था ही नहीं।

आप उस आयरिश व्यक्ति से सहमत या असहमत हो सकते हैं जिसने कहा था कि, “पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं होती”, लेकिन इस बिन्दु पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो परिपूर्ण हो। निस्संदेह विधि अपूर्ण होती है और यह अपूर्ण ही रहेगी, चाहे इसे देवदूतों द्वारा ही क्यों न निर्मित किया गया हो।

इसका कारण यह है कि जिन परिस्थितियों में नागरिक बनाम नागरिक अथवा नागरिक बनाम राज्य के मध्य न्याय करना होता है, उनमें इतनी अनंत विविधताएं होती हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होना अवश्यभावी हैं जिनमें न्याय वही से प्रारम्भ होता है, जहाँ विधि समाप्त हो जाती है। विधि के शासन पर आधारित न्याय की एक पूर्ण प्रणाली की अपेक्षा करना वैसा ही है, जैसा पानी के बुलबुलों के स्थायित्व की अपेक्षा करना।

हालाँकि, तेज मंटी के बावजूद एक ऐसा कार्य जो फल-फूल रहा है और निरंतर विकास की स्थिति में है, वह है - विधि निर्माण। विधिक सुधार के द्वारा, राष्ट्र को जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वह है नियमों और अधिसूचनाओं, अध्यादेशों और अधिनियमों की प्रचुरता से रहता। कानून में कोई भी संशोधन लोगों के मनोबल को इतना स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ाएगा जितना यह आश्वासन कि, एक निर्धारित अवधि के लिए नए कानून पारित नहीं किए जाएंगे। शासक और नौकरशाह सदैव परिवर्तन को प्रगति और संशोधन को सुधार समझने की भूल करते हैं। अपनी विधिक प्रणाली में हम कोई बदलाव करें या न करें, हमें कभी भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से संविधान और अन्य विधियों की व्याख्या करने की शक्ति और संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के अधीन कार्यपालिका के विरुद्ध नागरिक को रहत देने की शक्ति नहीं छीननी चाहिए। लॉर्ड एटकिन ने एसुगबायी एलेको (1931 ए.सी. 662, 670) में प्रिवी कौंसिल का निर्णय सुनाते हुए टिप्पणी की थी :

“ब्रिटिश न्यायशास्त्र के अनुसार, कार्यपालिका का कोई भी सदस्य किसी ब्रिटिश नागरिक की स्वतंत्रता या संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सिवाय उस स्थिति के, जब वह न्यायालय के समक्ष अपनी कार्यवाई की वैधता को सिद्ध कर सके और यह ब्रिटिश न्याय की परंपरा है कि न्यायाधीश को ऐसे मुद्दों पर कार्यपालिका के विरुद्ध निर्णय देने से संकोच नहीं करना चाहिए।”

हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रस्तर को बार-बार अनुमोदन के साथ उद्धृत किया है और बताया है कि यहाँ भी वही न्यायशास्त्र अपनाया गया है, जिसके आधार पर हमारे न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।

विदेशी शासन के दिनों में भी न्यायालयों ने इस सिद्धांत को लागू किया था कि नागरिक के विरुद्ध कार्यपालिका की कोई भी कार्यवाई विधि के अनुसार होनी चाहिए और यह कि विधि न्यायालय हिरासत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किए जाने वाले अन्य हस्तक्षेप, जैसे कि निर्बाध अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों की जाँच कर सकता है। जब हम स्वयं शासन चला रहे हैं, उस स्थिति में, हमें मुक्त लोकतंत्र के इस प्राथमिक सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए। वर्तमान विधियों के अधीन, जिनमें ऐसे उपबंध हैं कि किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता है, कोई भी नागरिक सामान्य विधि, प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक न्याय के नियमों के आधार पर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं माँग सकता, एक सरकारी अधिकारी को न्यायालय के समक्ष भी गिरफ्तारी के आधार प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी,

जिसे न्यायालय द्वारा रिहा किया गया है, उसे उन्हीं अधोषित कारणों से पुनः गिरफ्तार और कारावास में बंद किया जा सकता है जिसके लिए उसे न्यायालय द्वारा रिहा किए जाने से पहले हिरासत में लिया गया था, न्यायालय द्वारा जांच आवश्यक हो जाती है, चाहे वह कितनी भी सीमित क्यों न हो।

सरकार, विधि लागू करने के लिए अधिकृत है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके और आंतरिक सुरक्षा संरक्षित की जा सके। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या नागरिक को असहमति का अधिकार होना चाहिए और प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोनों का प्रयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पूर्वाग्रहित न हो। यदि इस बिंदु पर नागरिक और राज्य के बीच विवाद होता है, तो निश्चित रूप से केवल न्यायालय ही इस मुद्दे पर निर्णय कर सकता है।

स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को, जिसके पास कोई नागरिक कार्यपालिका के अतिरिक्त के विरुद्ध निवारण हेतु जा सके, दो तात्कालिक उदाहरणों से समझाया जा सकता है। महाराष्ट्र, तुलनात्मक रूप से अच्छी तरह से संचालित एक राज्य है और इसके पास एक योग्य, शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में है। फिर भी ग्रेटर बॉम्बे में पुलिस आयुक्त का एक ऐसा आदेश है, जो पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना पाँच या अधिक व्यक्तियों की सभा को रोकता है, चाहे यह बैठक सार्वजनिक हो या निजी और चाहे सभा का उद्देश्य और आयोजन स्थल कैसा भी हो। परिणाम यह है कि चाय या रात्रिभोज पार्टी, सामाजिक सभाएं, अंतिम संस्कार सभाएं, कॉलेज के व्याख्यान, बोर्ड बैठकें और पांच या अधिक व्यक्तियों की अनगिनत अन्य सभाएं अपने आरंभ से ही अपरिहार्य रूप से आदेश के उल्लंघन का गठन करती हैं। 18 दिसंबर, 1975 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश को अवैध और अधिकारातीत घोषित किया। इसके अतिरिक्त, कार्यपालिका के विवेक की अताकिंकता बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष बानुदास कृष्णा गावडे (77 बॉम्बे एल.आर. 500, 602-3) मामले में इसकी ओर से दिए गए तर्क से अच्छी तरह से परिलक्षित होती है:

“वास्तव में, (अधिवक्ता) ने यहां तक सुझाव दिया कि यदि हिरासत आदेश की शर्तों में यह खंड शामिल है कि बंदियों को कुछ भी खाने की अनुमति नहीं है, तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती और याचिकाकर्ता के पास अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका के माध्यम से कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार, जिसमें खाने का अधिकार एक हिस्सा है, के प्रवर्तन को निलंबित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश लागू है। (अधिवक्ता) के इस प्रस्ताव, जिसे हम एक चौकाने वाला प्रस्ताव मानते हैं, से उत्साहित होकर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने हस्तक्षेप किया और कहा कि भले ही हिरासत आदेश की शर्तें यह अधिकृत करती हों कि बंदी को गोली मार दी जानी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के अस्तित्व में रहते हुए इस तरह के खंड को चुनौती नहीं दी जा सकती।”

सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन किसी राज्य का उच्च न्यायालय पूरे राज्य का और सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये न्यायालय उन उग्र विवादों का निर्णय करते हैं, जिनका निर्णय कुछ अन्य देशों में बल प्रयोग द्वारा किया जाता है; ये न्यायालय हमारे समाज के सबसे आधारभूत संतुलन को बनाए रखते हैं; ये न्यायालय संविधान की व्याख्या करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए संप्रभु लोगों की एजेंसी हैं कि इसके अधिदेशों का सम्मान किया जाए।

चूंकि न्यायालय विधि के संरक्षक है और उनका कर्तव्य विधि का पालन सुनिश्चित करना है, इसलिए उन्हें व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा। उन्हें अनिवार्य रूप से दूसरों के कार्यों की वैधता का आकलन करना होगा और उनके आवरण पर रोक लगानी होगी। बुद्धिमान लोग विवेकशील और संयमित होते हैं, वे न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विनम्रता से झुकते हैं, जो विधि के शासन को बनाए रखने के लिए मनुष्य की बुद्धि द्वारा विकसित एकमात्र तरीका है। जब भी कोई न्यायाधीश दमनकारी सत्ता के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, तो वह वास्तव में संविधान के प्रति निष्ठा की रक्षा करता है। जब हमारे समय का इतिहास लिखा जाएगा, तो एक संस्था जो सम्मान से

परिपूर्ण होगी तथा जिसने राष्ट्र की विरस्थायी कृतज्ञता अर्जित की होगी, वह न्यायपालिका होगी।

अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद, संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान के मूल ढांचे या संरचना को परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकती। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से उस निर्णय को रद्द करवाने तथा यह अवधारित कराने का प्रयास असफल रहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है।

प्रत्येक विचारशील नागरिक को केशवानंद मामले के प्रभाव को जानना चाहिए, क्योंकि हमारा आगामी भविष्य संवैधानिक संशोधनों पर निर्भर करता है। केशवानंद मामले में यह स्पष्ट रूप से धारित किया गया है कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए, संविधान में कोई भी संशोधन संपत्ति के अधिकार की पूरी तरह अवहेलना करते हुए किया जा सकता है। इस प्रकार, संसद को गरीबों के लाभ के लिए या आर्थिक न्याय को प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन करने या अन्य कानून पारित करने की पूरी स्वतंत्रता है। उस मामले में आगे यह भी धारित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, शर्त केवल यह है कि इस शक्ति का प्रयोग संविधान के मूल ढांचे या संरचना को बदलने या नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि निम्नलिखित विशेषताएं संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करती हैं:

1. संविधान की सर्वोच्चता- हमारा संविधान सर्वोत्तम रूप से “नियंत्रित संविधान” है। संसद सहित सभी संस्थाएँ संविधान की रचना मात्र हैं और उनमें से कोई भी इसका स्वामी नहीं है।
2. भारत की संप्रभुता- इस देश को किसी अन्य देश का अनुचर, उपनिवेश या आश्रित नहीं बनाया जा सकता।
3. राष्ट्र की अखंडता- सभी क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और अन्य विविधताओं से परे राष्ट्र की एकता वह आधारशिला है जिस पर संवैधानिक ताना-बाना खड़ा किया गया है।
4. गणतांत्रिक शासन प्रणाली- भारत को राजतंत्र में नहीं बदला जा सकता।
5. केवल वयस्क मताधिकार से अलग लोकतांत्रिक जीवन शैली- इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी है।
6. एक ऐसा राज्य जिसमें कोई राजकीय धर्म न हो - सभी धर्म समान हों और किसी का पक्ष न लिया जाए।
7. एक स्वतंत्र न्यायपालिका - इसके बिना, सभी अधिकार आधारहीन होंगे।
8. संघ और राज्यों की दोहरी संरचना -यह केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को सह-अस्तित्व में रहने की अनुमति देती है।
9. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन- तीनों अंगों में से कोई भी अपनी शक्ति का उपयोग अन्य दो की शक्तियों को नष्ट करने के लिए नहीं कर सकता है, न ही उनमें से कोई भी दूसरे के पक्ष में अपनी शक्ति का त्याग कर सकता है।

संक्षेप में, केशवानंद का मामला यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक सच्चा स्वतंत्र लोकतंत्र और अलग-अलग राज्यों को एकीकृत करने वाला एक संप्रभु गणराज्य बना रहेगा। संविधान संशोधन के लिए “कुछ सुझाव” वाला एक शोध पत्र व्यापक रूप से प्रसारित हुआ है और उस पर प्रतिकूल टिप्पणियाँ भी की गई हैं। यह सर्वथा जनहित में और सरकार के अपने हित में है कि संवैधानिक संशोधन एक गुप्तचुप अभियान न होकर खुली सार्वजनिक बहस का विषय बनें। एक पत्रिका के अनुसार, ऐसा समझा जाता है कि इस शोध पत्र को “कांग्रेस के कुछ दिग्गजों का आशीर्वाद प्राप्त है।” मुझे आशा और विश्वास है कि यह सही नहीं है। इस नोट में हमारे संविधान के मूल ढांचे में सबसे दूरगामी और अशांत करने वाले बदलावों के प्रस्ताव हैं।

वर्तमान वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली, जिसके अंतर्गत देश का मुख्य कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है और मंत्रियों का चयन संसद सदस्यों में से किया जाता है, को राष्ट्रपति शासन

प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति देश का मुख्य कार्यकारी होगा। राष्ट्रपति का चुनाव संसदीय मतदान के समय मतदाताओं द्वारा सीधे किए जाने का प्रस्ताव है।

यह आपत्तिजनक नहीं है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भारत के लिए वर्तमान व्यवस्था की तुलना में राष्ट्रपति शासन प्रणाली बेहतर होगी, बशर्ते कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का उचित संतुलन बना रहे। मूल ढाँचे में बदलाव किए बिना संविधान में संशोधन करके एक स्वीकार्य राष्ट्रपति शासन प्रणाली निश्चित रूप से लागू की जा सकती है।

हालाँकि, इस शोध पत्र में प्रस्तावित राष्ट्रपति प्रणाली स्पष्ट रूप से अवांछनीय है, क्योंकि इसमें एक ऐसे राष्ट्रपति की परिकल्पना की गई है जो संविधान या किसी अन्य एजेंसी द्वारा वस्तुतः अनियंत्रित होगा। शोध पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हमारे राष्ट्रपति को “अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होंगी... अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ और वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाएँगी।”

संसद की स्थिति और शक्तियों में भारी कमी की जाएगी। “मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगी... और अमेरिकी प्रणाली के विपरीत, विधायिका कार्यपालिका से बहुत अधिक स्वतंत्र नहीं होगी।”

सबसे आपत्तिजनक परिवर्तन न्यायपालिका में प्रस्तावित परिवर्तन है। “न्यायपालिका की एक उच्चतर परिषद” होगी। राष्ट्रपति इस उच्च परिषद का अध्यक्ष होगा, जिसके अन्य सदस्य विधि एवं न्याय मंत्री, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत चार व्यक्ति, संसद द्वारा निर्वाचित चार व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार, उच्चतर परिषद के पंद्रह में से दस सदस्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ दल के प्रभाव के अधीन होंगे।

इस परिषद को संविधान और अन्य विधियों की व्याख्या करने का अधिकार दिया जाएगा और किसी भी विधि की वैधता पर निर्णय देने का भी अधिकार दिया जाएगा। “इस परिषद द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रकार, इन मामलों पर निर्णय लेने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।” इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि उच्चतर परिषद या उसकी समिति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवरण और उनके निष्पादन की समीक्षा करने, उनके विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करने और राष्ट्रपति को किसी भी न्यायाधीश को हटाने या यहाँ तक कि बर्खास्त करने की सिफारिश करने का अधिकार दिया जाएगा। इससे उच्चतर न्यायपालिका का स्तर (न्यायमूर्ति स्टेपल के शब्दों में) “गृह मंत्री की कुर्सी के नीचे रेंगते चूहों” के स्तर पर आ जाएगा।

संविधान का अनुच्छेद 13, जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत होने पर कानूनों को अमान्य घोषित करता है, को (उस शोध-पत्र के अनुसार) हटाने का प्रस्ताव है और यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि “विधायी क्षमता या किसी अन्य आधार पर किसी भी न्यायालय में किसी भी कानून पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।” यदि संविधान के किसी भी प्रावधान की सही व्याख्या के बारे में कोई विवाद होता है, तो संसद द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से दी गई व्याख्या अंतिम और निर्णायक होगी और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सहित सभी पर बाध्यकारी होगी।

संविधान का अनुच्छेद 32, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है, को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित परिवर्तनों का परिणाम यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय प्रशासन के उपांग बन जाएंगे; और बुनियादी मानवीय स्वतंत्रताएं, जिनमें धर्म की

स्वतंत्रता और धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई या क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल हैं, गारंटीकृत अधिकारों के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेंगी और न्यायालय में लागू नहीं हो पाएंगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य की शक्तियाँ अब सुरक्षित नहीं रहेंगी। यदि संसद किसी ऐसे विषय पर कानून पारित करती है जो संविधान के अधीन विशेष रूप से राज्यों को सौंपा गया है, लेकिन यदि संसद यह प्रस्ताव करती है कि ऐसा कानून वैध है, तो वह कानून स्वतः ही वैध हो जाएगा और किसी भी न्यायालय को उसे अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार, संसद में बहुमत द्वारा संविधान को पूरी तरह से मौन किया जा सकता है।

काल्पनिक उदाहरणों को छोड़कर, संविधान (इकतालीसवाँ संशोधन) विधेयक का उदाहरण लें, जो अगस्त 1975 में राज्यसभा द्वारा पारित हो चुका है और अब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :

1. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके पदभार ग्रहण करने से पहले या बाद में, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए किसी भी कार्य के संबंध में, उनके पदावधि के दौरान कोई भी दीवानी कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, इन गणमान्य व्यक्तियों को पदभार ग्रहण करने से पहले या बाद में किए गए उनके व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में, उनके पदावधि के दौरान सिविल कानून से ऊपर रखा गया है। कोई व्यक्ति भारी ऋण ले सकता है या साथी नागरिकों को गंभीर क्षति पहुँचाने वाले अपकृत्य कर सकता है, लेकिन उसे अपने पदावधि के दौरान सिविल कार्यवाही से पूर्ण छूट प्राप्त है, हालाँकि पद का इन ऋणों या अपकृत्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

2. आपराधिक विधि के संबंध में, इन्हीं तीन श्रेणियों के गणमान्यों को पदभार ग्रहण करने से पहले या पदावधि के दौरान किए गए किसी भी अपराध के लिए आजीवन उन्मुक्ति प्रदान की गई है। यदि किसी व्यक्ति के पास इन तीन पदों में से किसी एक पद पर, किसी भी अवधि के लिए, चाहे वह अवधि कितनी भी कम क्यों न हो, रहने के लिए पर्याप्त राजनीतिक समर्थन है, तो उसे शेष जीवन भर सभी आपराधिक कार्यवाहियों से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त होगी। किसी भी अपराध के लिए लंबित आपराधिक कार्यवाही, तीनों में से किसी एक पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद जारी नहीं रखी जा सकती।

सभ्य न्यायशास्त्र में इस विधेयक का कोई सानी नहीं है। एक स्वतंत्र न्यायालय यह मान सकता है कि प्रस्तावित संशोधन अमान्य है क्योंकि यह संविधान के मूल ढाँचे को बदल देता है और गणतंत्रवाद के पहले सिद्धांत, यानी विधि के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, को समाप्त कर देता है। लेकिन अगर इसकी वैधता के प्रश्न का निर्णय न्यायपालिका द्वारा नहीं, बल्कि न्यायपालिका की उत्तर परिसद जैसी किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है, जहाँ बहुमत उसी पक्ष का है जिसने संशोधन प्रस्तुत किया है, तो वह संस्था स्वाभाविक रूप से संशोधन का समर्थन करेगी। यह न्यायशास्त्र का एक आधारभूत सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने भी ऊँचे पद पर क्यों न हो, अपने द्वारा बनाए कानूनों की वैधता या सही व्याख्या पर फैसला नहीं कर सकता।

प्रत्येक सही सोच वाला व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि देश की अखंडता और एकता तथा हमारे राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, जो 1947 के बाद से हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं, के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

“भारत का संविधान एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, सामाजिक क्रांति का अधिकारपत्र है,” जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने फरवरी 1975 में संविधान की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में कहा था। उन्होंने आगे कहा था, “लोकतंत्र राजनीतिक विचारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन इस स्वतंत्रता में लोकतंत्र को नष्ट करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है।”

यह विश्वास करना कठिन है कि संविधान में प्रस्तावित संशोधनों के निहितार्थ पूरी तरह से समझ में आ जाने पर प्रधानमंत्री, अपनी पृष्ठभूमि, अनुकरणीय गैर-सांप्रदायिक

दृष्टिकोण और राष्ट्रीय एकीकरण की अपनी उत्कट इच्छा के बावजूद उपरोक्त प्रस्तावों को अपना समर्थन देगी। संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट किए जाने की संभावना से राज्यों और अल्पसंख्यकों को गंभीर आशंकाएँ होना स्वाभाविक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य हमारे लोकतंत्र के सार को पूरी तरह से कमजोर करना है।

जनता की आशंकाओं को दूर करने के लिए यह अत्यंत वांछनीय है कि सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की जाए कि संशोधन के ये सुझाव सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं हैं। दिसंबर 1975 की शुरुआत में ब्रिटेन में एक रोचक मामला सामने आया, जो जनता के मन में व्याप्त आशंकाओं को दूर करने की आवश्यकता के विषय में बहुत शिक्षाप्रद है। एक व्यक्ति ने टेलीविजन सेटों के लिए संशोधित लाइसेंस शुल्क से संबंधित गृह मंत्रालय की प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती दी। सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए एक प्रतिष्ठित क्यू.सी. (क्वीन्स काउंसिल) ने अपील न्यायालय के समक्ष कहा, “यदि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करता है, तो बहुत जल्द ही न्यायालय की शक्तियों पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा।” जनता और प्रेस इस धमकी से बहुत परेशान थे कि न्यायालय के पर कतर दिए जाएँगे। चार दिनों के भीतर ही सरकार के अधिवक्ता ने माफ़ी माँगी और न्यायालय के सामने निम्नलिखित बयान दिया :

“मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूँ कि न तो गृह सचिव और न ही उनके विभाग से संबंधित किसी व्यक्ति ने मुझे निर्देश या सुझाव दिया है कि मैं इस न्यायालय को किसी भी तरह से धमकी दूँ, या मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दिया है कि यदि आप गृह मंत्रालय के विरुद्ध कोई निर्णय देते हैं तो न्यायालय की शक्तियों में कटौती की जा सकती है।”

वह एक छोटा सा मामला था जिसमें न्यायालय में एक अधिवक्ता का बिना सोचे-समझे दिया गया बयान शामिल था। हमारे प्रकरण में, न्यायिक शक्तियों और स्वतंत्रता के पूरे ढाँचे को ही ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि जनता को आश्वस्त करने के लिए एक औपचारिक घोषणा की जाए कि ये प्रस्ताव भारत सरकार की आधिकारिक सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और संविधान में आगे संशोधन करने से पहले इस विषय पर स्वतंत्र सार्वजनिक बहस होगी।

हम स्वयं को प्रायः स्मरण नहीं करा सकते कि संविधान का उद्देश्य केवल तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए प्रावधान करना नहीं है, बल्कि इसे वर्षों तक बनाए रखना है; और इसका उद्देश्य विधि के शासन की जीवंत भावना को ऐसी गति प्रदान करना है, जिससे लोकतंत्र और स्वतंत्रता, भारत में हमारे बाद भी जीवित रह सकें, तथा उन दिनों में भी जीवित रह सकें, जब हम यहाँ न हों।

इसके अतिरिक्त, भारत के संवैधानिक घटनाक्रम हमारे लोगों की ही चिंता का विषय नहीं है। हम मानव जाति का छठा हिस्सा हैं और अलग-अलग दो रास्तों के बीच हमारे द्वारा किए गए चयन से दुनिया भर में लोकतंत्र के हित पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा।

जोसेफ स्टोरी के शब्दों में, “यह वर्तमान युग पर निर्भर करता है कि क्या राष्ट्रीय संविधान अपनी पुरुषोचित गरिमा के साथ देश की रक्षा और एकीकरण के लिए हमारी संतानों को प्राप्त होगा; या अपनी शक्ति से रहित होकर, यह एक निरर्थक उपहास बनकर रह जाएगा, और अपने अंतिम प्रख्यात संस्थापकों की कब्र बंद होने से पहले ही नष्ट हो जाएगा।”

(सौजन्य: “इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया”,
4-10 जनवरी, 1976)

न्याय के तराजू का संतुलन: किशोर न्याय का आगमन

द्वारा न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता

शिक्षाविद और समाज सुधारक फ्रेडरिक डगलस ने कहा था, “टूटे हुए मनुष्यों को सुधारने से ज्यादा आसान है मजबूत बच्चों का निर्माण करना।” 2012 के भयावह निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के बाद, जिसने कम उम्र के लड़कों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की बढ़ती घटनाओं को उजागर किया, लाखों लोगों ने भारतीय न्याय प्रणाली की निरर्थकता को उजागर करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई और इससे किशोर न्याय कानूनों में तत्काल और अत्यन्त आवश्यक संशोधनों की मांग उठी, विशेष रूप से उन प्रावधानों की जो कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को बिना अपराध की परिस्थितियों और प्रकृति को ध्यान में रखे, किसी भी दंडित अभियोजन से असीमित छूट देते हैं। निर्भया मामले में अन्य सभी अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया, जबकि एक मुख्य अभियुक्त 18 साल का होने में कुछ ही महीने कम था। इस किशोर आरोपी को मिली तीन साल की सज़ा दिसंबर 2015 में समाप्त हो गई, जिसके बाद वह सुधार गृह से बिना किसी रोक-टोक के बाहर निकल गया।

इन आग्रहों के फलस्वरूप किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 अस्तित्व में आया। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक, 2015 लोकसभा में 12 अगस्त 2014 को प्रस्तुत किया गया था। इसे कई संगठनों के साथ विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के उपरांत प्रस्तुत किया गया, जो बच्चों के अधिकारों के प्रति सक्रिय रहे हैं, जैसे - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रयास, क्राई तथा अन्य समूह एवं व्यक्ति। इस विधेयक ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त कर दिया। यह विधेयक 19 सितम्बर 2014 को मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉ. सत्यनारायण जटिया कर रहे थे, को भेजा गया। समिति ने 25 फरवरी 2015 को विधेयक पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात 11 मई 2015 को लोकसभा द्वारा तथा 22 दिसम्बर 2015 को राज्यसभा द्वारा इसे पारित किया गया, जो इस कानून के अधिनियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना है, जिसे भारत ने 11 दिसम्बर 1992 को अनुमोदित किया था। इसका लक्ष्य कानून से संघर्षरत बच्चों, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, गोद लेने, किशोर अपराधियों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे, बच्चों की देखभाल प्रदान करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण आदि से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रारंभ करने और संशोधित करने के माध्यम से वर्तमान किशोर न्याय प्रणाली की प्रक्रिया और व्यवहार में आने वाली चुनौतियों का विशेष रूप से समाधान करना है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करना है। किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मुद्दे से निपटने के लिए अधिनियम में एक प्रमुख प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर अपराधियों को संभावित रूप से वयस्कों के रूप में विचार किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है:

- 16.(1) यदि कोई जघन्य अपराध ऐसे बालक द्वारा किया गया है जिसने सोलह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का हो, तो बाल न्याय बोर्ड उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, ऐसे अपराध को करने की योग्यता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता तथा जिन परिस्थितियों में उसने अपराध किया, उनके संबंध में प्रारंभिक जाँच करेगा और तत्पश्चात धारा 19 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

यह उपबंध किया जाता है कि ऐसी जाँव के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

(2) जहाँ बोर्ड प्रारंभिक जाँव में इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मामला बोर्ड द्वारा ही निपटारा जाना चाहिए, वहाँ बोर्ड यथासंभव दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत समन वाद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा: यह उपबंध किया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत की जाने वाली जाँव धारा 15 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पूर्व में स्थापित बाल न्यायालय अथवा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जहाँ भी विद्यमान हों, और जहाँ ऐसे न्यायालय गठित नहीं किए गए हैं वहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाली सत्र न्यायालय को, 16 से 18 वर्ष की आयु के उन किशोर अपराधियों का विचारण करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं। तथापि, यह अधिकार तभी प्रयोग में आएगा जब किशोर न्याय बोर्ड प्रारंभिक जाँव पूरी कर यह निर्धारित कर ले कि संबंधित किशोर अपराधी को पुनर्वास हेतु भेजा जाए या यह पुष्टि कर दे कि उसे वयस्क के रूप में विचारण हेतु उपयुक्त माना जा सकता है।

अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किशोर अपराधी को सुरक्षा गृह में रखा जाएगा और जब वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तब उसे जेल में स्थानांतरित किया जाएगा, इस उपबंध के साथ कि सुरक्षा गृह में रहते हुए उसे शिक्षा तथा परामर्श से संबंधित विभिन्न सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराए जाएँ। बाल न्यायालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए जिसमें सुरक्षा गृह में रहते हुए किशोर की प्रगति से संबंधित जानकारी दी गई हो तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किशोर के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए।

फ्रांस में किशोरों से संबंधित कानून कुछ अन्य देशों से भिन्न है। फ्रांसीसी कानून के अंतर्गत केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का ही आपराधिक न्यायालयों में विचारण किया जा सकता है। किशोरों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का वर्गीकरण इस प्रकार है: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता और केवल शैक्षिक, सहायक तथा पर्यवेक्षणात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। 10 से 13 वर्ष की आयु के बीच केवल शैक्षिक दण्ड दिए जा सकते हैं। यदि कोई नाबालिग इस प्रकार दिए गए दण्ड को मानने से इंकार करता है, तो उसे पालक देखरेख अथवा किशोर अपराधियों के लिए विशेष केंद्रों में भेजा जा सकता है। 13 से 16 वर्ष की आयु के नाबालिगों को दण्डित किया जा सकता है। हालांकि, उन्हें वयस्कों की अपेक्षा केवल आधी अवधि की सजा दी जाती है और गंभीर अपराध करने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर अपराधियों के मामले में, अपराध की प्रकृति के आधार पर नाबालिगों से संबंधित विशेष प्रावधानों को निरस्त किया जा सकता है। 'किशोर असाइज़ न्यायालय' कहलाने वाले विशेष न्यायालयों को उन मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिनमें नाबालिगों द्वारा जघन्य अपराध किए गए हों।

यद्यपि अमेरिका में किशोर कानूनों को पुनर्वास और सुधार को मुख्य उद्देश्य बनाकर अधिनियमित किया गया है, परंतु किशोर अपराध दर में तीव्र वृद्धि के कारण ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिनके अंतर्गत जब कोई किशोर एक निश्चित आयु से अधिक होकर कोई हिंसक अथवा अन्य जघन्य अपराध करता है, तो किशोर न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है और मामला स्वतः ही वयस्क न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अमेरिका के सभी राज्यों ने एक निश्चित सीमा निर्धारित की है, जिसके बाद बालक को नाबालिग नहीं माना जाता। तथापि, सभी राज्य ऐसे अंतरण संबंधी प्रावधान अपनाते हैं जिनसे क्षेत्राधिकार का स्थानांतरण संभव हो जाता है और किशोर अपराधी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन चलाया जा सकता है। मामले के अंतरण के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। प्रथम, न्यायिक छूट कानून होते हैं, जिनमें छूट देने का निर्णय किशोर न्यायालय पर निर्भर करता है। तथापि, कुछ

राज्यों में यह छूट प्रावधान विशिष्ट प्रकार के मामलों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अमेरिका के कुछ राज्यों ने हत्या, बलात्कार आदि जैसे विशिष्ट अपराधों को निर्धारित किया है, जिनमें मामले का आपराधिक अभियोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। द्वितीय, अभियोजन विवेकाधिकार या समवर्ती क्षेत्राधिकार कानून होते हैं, जिनमें यह अनिवार्यता नहीं होती कि मामला किशोर न्यायालय में चलेगा या आपराधिक न्यायालय में, बल्कि अभियोजक को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी सुविधा और उपयुक्तता के अनुसार किसी भी मंच का चयन कर सके। तृतीय, वैधानिक अपवर्जन कानून होते हैं, जिनमें कुछ परिस्थितियों में किशोर अपराधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई का विशेषाधिकार केवल आपराधिक न्यायालयों को प्रदान किया गया है। उपर्युक्त सभी छूट प्रक्रियाओं में, किशोर अपराधी की आयु (आम तौर पर 13 से 18 वर्ष के बीच) और अपराध की प्रकृति (विशेष रूप से जघन्य एवं हिंसक अपराध) छूट याचिका को स्वीकार या अस्वीकार करने के मुख्य मानदंड होते हैं।

यूनाइटेड किंगडम में, विल्ड्रेन एंड रंग पर्सन्स एक्ट, 1933 की धारा 50 इंग्लैंड और वेल्स में आपराधिक दायित्व की न्यूनतम आयु 10 वर्ष निर्धारित करती है। तथापि, 10 से 18 वर्ष की आयु के बीच, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, किशोर न्याय प्रणाली युवा न्यायालय के रूप में कार्य करती है, जो आवश्यक होने पर मामले को क्राउन कोर्ट में स्थानांतरित करती है, जो सत्र न्यायालय के समान है। क्राउन कोर्ट को 10 से 18 वर्ष की आयु के उन किशोर अपराधियों को दंडित करने का अधिकार है, जिन्होंने ऐसे अपराध किए हैं जिनकी सजा 14 वर्ष या उससे अधिक की कैद है। इसके अतिरिक्त, हत्या अथवा कुछ यौन अपराधों के मामलों में किशोर अपराधियों को वयस्क अपराधियों के समान अधिकतम सजा दी जा सकती है। मामलों का स्थानांतरण सामान्यतः उन परिस्थितियों में किया जाता है, जब किशोर अपराधी समाज के लिए उच्च स्तर का जोखिम प्रस्तुत करते हों, आदतन अपराधी हों, और जहाँ अन्य कोई निर्णय इन जोखिमों का प्रभावी रूप से समाधान न कर सके।

अतः वर्तमान अधिनियम यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम है, कोई जघन्य अपराध करता है, तो यदि बोर्ड इस मत पर पहुँचता है कि वह वास्तव में अपने कृत्यों के परिणामों से अवगत था, तो उसे वयस्क के समान माना जाएगा। इस प्रस्तावित संशोधन की अनेक स्तरों से आलोचना हुई है क्योंकि यह बोर्ड को यह निर्धारित करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है कि किशोर में अपराध करने की मानसिक/शारीरिक क्षमता थी और क्या वह उसके परिणामों को समझता था, जबकि इसके लिए कोई वैज्ञानिक रूप से वस्तुनिष्ठ पद्धति उपलब्ध नहीं है, और इससे प्रक्रिया में मनमानी की संभावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे निर्णय प्रचलित जनमानस से भी प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यदि बोर्ड में निहित विवेकाधिकार अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में पाया जाता है और वस्तुनिष्ठ संतोष पर आधारित नहीं है, तो बोर्ड के किसी भी निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। प्रक्रिया संबंधी मनमानी से सुरक्षा के लिए अधिनियम में अपील और पुनरीक्षण के प्रावधान के रूप में सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए गए हैं।

तथापि, यह उपर्युक्त होगा कि न्यायपालिका इस प्रावधान की कड़ी व्याख्या करे और केवल तभी निर्दोषता के अनुमान को समाप्त किया जाए जब किया गया अपराध इतना जघन्य हो कि वह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे और अपराध की पद्धति स्वयं एक दोषपूर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करे; अन्यथा नहीं। यह भी विचारणीय है कि जघन्य अपराधों के अपराधियों का वर्गीकरण करना चरनात्मक भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्हें वास्तव में एक अलग वर्ग माना जा सकता है, तथा वस्तुतः यह भी तर्क दिया जा सकता है कि यदि कोई किशोर अपराधी, जिसने जघन्य अपराध किया है और जो अपने कृत्यों के परिणामों को समझने में पूर्णतः सक्षम है, को केवल उसकी आयु के आधार पर लाभ प्रदान किया जाए, तो यह समानता के अनुच्छेद का उल्लंघन होगा, क्योंकि इससे समान परिस्थितियों में

स्थित व्यक्तियों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाएगा। यदि 16 वर्षीय व्यक्ति जघन्य अपराध करने में सक्षम है, तो वह कठोर दंड भुगतने के लिए भी समान रूप से उत्तरदायी है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं को इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि बच्चों को लैंगिक अधिकारों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने की योजना पर कार्य किया जाए और साथ ही किशोरों के लिए एक प्रतिरोधात्मक प्रभाव उत्पन्न करने

हेतु उपयुक्त प्रावधान भी किए जाएँ।

विधायिका को कानून बनाते वक्त समय, युग और उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिन पर वह शासन करती है। और यद्यपि 2000 का अधिनियम अपराध सुधारात्मक न्यायशास्त्र के पालन में एक लाभकारी कानून था, यह उन नाबालिगों के लिए निवारक साबित नहीं हो सका जो गंभीर अपराध कर रहे हैं, जिनमें वृद्धि हो रही है, जबकि न्यायपालिका न्याय प्रदान करने में स्वयं असहाय पाई गई।

हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर और घिनौने अपराध करने वाले नाबालिग अपराधियों को केवल उनकी आयु के आधार पर सहज दंड नहीं दिया जाना चाहिए। नाबालिग अपराधियों की समय से पूर्व रिहाई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है जिसमें नाबालिग न केवल स्वयं के लिए खतरा बन सकता है बल्कि अपने उदाहरण द्वारा और समाज के अन्य सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर दूसरों के लिए असुरक्षित वातावरण भी बना सकता है। तथापि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नाबालिग न्याय प्रणाली का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार होना चाहिए। विशेष और आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि नाबालिग को समाज में पुनः एकीकृत किया जा सके, उनके न्याय प्रणाली में विश्वास और आत्म-सम्मान की भावना को बनाए रखते हुए।

सबसे पहले, आइए सुधारात्मक संस्थाओं की स्थिति पर विचार करें, जो गंभीर कमियों से ग्रस्त हैं। नाबालिगों के लिए गुणवत्तापूर्ण परामर्श और उचित आधारभूत संरचना की कमी नाबालिग न्याय प्रणाली के सुधारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष गृह सही ढंग से स्थापित हों और उनका स्तर सुधारा जाए, और पेशेवर परामर्शदाताओं तथा मनोचिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग नाबालिगों को समाज में पुनः एकीकृत करने के लिए किया जाए। सरकार और प्रशासन को सभी बच्चों को अनिवार्य और बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए ईमानदार और सार्थक प्रयास करने चाहिए। साथ ही, आर्थिक विकास, निवेश, महिला एवं बाल कल्याण और रोजगार सृजन को उनका उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

समय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव के जवाब में, भारत को सभी संभव और शीघ्र कदम उठाने चाहिए ताकि यह साबित किया जा सके कि निर्भया जैसे घिनौने अपराधों के मामलों में इतिहास दोहराया नहीं जाएगा और कि भारतीय नाबालिग कानूनी प्रणाली नाबालिगों के साथ कानून संघर्ष की स्पष्ट कमियों से निपटने के लिए सक्षम और तत्पर है।

यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत जेसिका लैंग ने उचित रूप से कहा है, 'हमारे शासन का कोई बेहतर मापदंड नहीं हो सकता जितना कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और हमारी सबसे बड़ी विफलता यह होगी कि उन्हें हिंसा, दुर्व्यवहार या शोषण के अधीन होने की अनुमति दें।'

लेखक

लेखक को 1981 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया और उन्होंने दीवानी, आपराधिक और कर संबंधी मामलों में अभ्यास किया। वे कई बैंकों और विकास प्राधिकरणों के स्थायी वकील रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के उपाध्यक्ष (1992-93) और अध्यक्ष (2004-05) के रूप में निर्वाचित किया गया, इसके बाद उन्हें 5 मई, 2008 को न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया।

कुछ छोटी बातें जो मुझे याद याद हैं

द्वारा न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर

मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ कि नवंबर 1966 में एक नवागंतुक अधिवक्ता के रूप में मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह को देखा और दिसंबर 1991 में योजना समिति के सह-सचिव एवं अतिथि स्वागत समिति के सदस्य के रूप में उत्तर-शताब्दी रजत जयंती समारोह में सहभागिता की, अब मुझे इस न्यायालय की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ के समारोह का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा।

स्वतंत्रता से बहुत पहले ही, पंडित सुंदर लाल, मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, डॉ. कैलाश नाथ काटजू, डॉ. एन.पी. अस्थाना, प्यारे लाल बनर्जी, जी.एस. पाठक और अन्य जैसे राष्ट्रीय स्तर के अत्यंत प्रतिष्ठित और विद्वान वकीलों के कारण इस उच्च न्यायालय ने बहुत नाम कमाया, जिन्होंने यहाँ वकालत की। यहाँ उतने ही महान न्यायाधीश भी हुए जिन्होंने कानून की व्याख्या करते हुए विद्वत्तापूर्ण निर्णय दिए। जब भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत, उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए संघीय न्यायालय का गठन किया गया, तो इसमें केवल तीन न्यायाधीश थे। सर मॉरिस ग्वारर, जो एक अंग्रेज थे, मुख्य न्यायाधीश बने और अन्य दो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जयकर और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाह मोहम्मद सुलेमान थे।

जब मैंने वकालत शुरू की, तो मैंने वरिष्ठ वकीलों से सुना था कि निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर गंभीरता से यह सोचा जा रहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इलाहाबाद में स्थापित किया जाना चाहिए। संविधान निर्माता, जो बुद्धिजीवी और दूरदर्शी व्यक्ति थे, का विचार था कि देश का सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक सत्ता के केंद्र और सरकारी पदाधिकारियों से दूर होना चाहिए। इलाहाबाद को सबसे उपयुक्त स्थान माना गया क्योंकि वहाँ की बेंच और बार ने देश में उच्चतम प्रतिष्ठा अर्जित की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था और समारोह के हिस्से के रूप में, 'सुप्रीम बट नॉट इनफॉलिबल' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसमें कानून के क्षेत्र में अग्रणी भारतीय और विदेशी हस्तियों द्वारा लिखे गए लेख शामिल थे। इसमें बी. सेन का एक लेख 'द सुप्रीम कोर्ट बेंच एंड बार: रेमिनिसेंसेस ऑफ द फॉर्मेटिव इयर्स' भी है। उन्हें 1946 में बार में बुलाया गया था, उन्होंने प्रिवी काउंसिल के सामने वकालत की और फिर भारत आकर पहले फेडरल कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया। 28 जनवरी, 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के बाद, उन्होंने कुछ न्यायाधीशों से मिलने का फैसला किया जिनकी संख्या केवल पाँच थी। जब वह न्यायमूर्ति बिजन कुमार मुखर्जी से मिलने गए तो क्या हुआ, उसे पृष्ठ 434 पर दी गई कुछ पंक्तियों को उद्धृत करके सबसे अच्छी तरह से बताया जा सकता है।

न्यायमूर्ति बिजन कुमार मुखर्जी ने मुझे एक तरह की प्रारंभिक अस्वीकृति के साथ अभिवादन किया: 'तुम क्यों आए हो? यह तुम्हारी वकालत शुरू करने की जगह नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली में क्यों स्थापित करने का फैसला किया है। उन्हें इलाहाबाद जैसे कानूनी शिक्षा के पारंपरिक केंद्रों में से किसी एक को चुनना चाहिए था। यहां हम सरकार के बहुत करीब हैं। यहां कोई नाम लायक बार नहीं है, हमारे पास केवल जिला न्यायालय के अधिवक्ता हैं।'

न्यायमूर्ति मुखर्जी को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे विद्वान और उत्कृष्ट न्यायाधीशों में गिना जाता है। उनका प्रख्यात ग्रंथ, 'लॉ ऑफ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट', भारत और यूके दोनों के ट्रस्ट कानून, हिंदू धर्म, मंदिर, मठ और देवता की अवधारणाओं के साथ-साथ संस्कृत भाषा पर उनके गहन ज्ञान को दर्शाता है। संवैधानिक कानून में भी न्यायमूर्ति मुखर्जी उतने ही प्रखर थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विलियम ऑर्विल डगलस ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक है 'वी द जजेज: स्टडीज इन अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फ्रॉम मार्शल टू

मुखर्जी '। जॉन मार्शल 1801 से 1835 तक अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति मुखर्जी के मतानुसार, इलाहाबाद एक पारंपरिक विधि-शिक्षा केंद्र था और सर्वोच्च न्यायालय को वही स्थापित किया जाना चाहिए था।

1986 से पहले, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन केवल 3,500/- रुपये प्रति माह था और कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलती थी। न्यायाधीश अपनी निजी कारों से न्यायालय आते थे, जो अक्सर काफी पुरानी होती थीं और कभी-कभी रास्ते में खराब भी हो जाती थीं।

जुलाई 1964 में मेरे एलएलबी (अंतिम) का परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद, मैंने बस्ती में जिला न्यायालय जाना शुरू कर दिया। उस समय, मसौदे ज्यादातर अंग्रेजी में तैयार किए जाते थे और सत्र न्यायाधीशों तथा जिला न्यायाधीशों की अदालतों में बहस अक्सर अंग्रेजी में ही होती थी। मुंसिफ और मजिस्ट्रेट भी अपने फैसले अंग्रेजी में लिखते थे।

मैंने 8 दिसंबर, 1964 को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। शीतकालीन अवकाश के दौरान, मैं इलाहाबाद आया। प्रशिक्षण के लिए मुझे जिस चौबर से जुड़ना था, उसका निर्णय मेरे चाचा, स्वर्गीय न्यायमूर्ति हरीश चंद्र ने किया, जो एक दशक पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। वह मुझे वरिष्ठ अधिवक्ता अंबिका प्रसाद के निवास पर ले गए। मैं काफी घबराया हुआ था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मन में तरह-तरह के विचार आ रहे थे। मुझे लगा कि उच्च न्यायालय का एक शीर्ष अधिवक्ता निश्चित रूप से एक अभिजात और अहंकारी होगा और संभव है कि वह मुझे कनिष्ठ के रूप में स्वीकार न करे। कई विधि स्नातक उनके चौबर में शामिल होने के इच्छुक होंगे ताकि उन्हें उच्च स्तर के काम का अनुभव और प्रशिक्षण मिल सके। मेरे चाचा ने जब उन्हें आने का उद्देश्य बताया, तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, “कल से आना।” यह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी। थोड़े समय के लिए ही मैं वहाँ रहा, लेकिन मेरी सभी आशंकाएँ गायब हो गईं। उसके बाद, हर दिन शाम को 18, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित उनके चौबर में जाना और छुट्टियों में सुबह भी वहाँ पहुँचना मेरी दिनचर्या बन गई। उन्हें सिविल लॉ का पूर्ण ज्ञान था और वे ट्रस्ट, मंदिरों और वक्फ की संपत्तियों के मामलों के ज्ञाता थे। वे पहले कानून के सिद्धांतों पर पूरी स्पष्टता के साथ बहस करते थे। वे ज्यादा फैसलों का हवाला नहीं देते थे और अक्सर कहते थे कि जो लोग फैसलों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, वे बैसाखी पर चलते हैं। उनका कथन हमेशा सही होता था और किसी न्यायाधीश ने कभी उसे सत्यापित करने के बारे में नहीं सोचा। अपनी विद्वत्ता और स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण, उन्हें उनके हमउम्र लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोग ‘बाबूजी’ कहकर पुकारते थे। उन्होंने कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट में भी गहरी रुचि ली, जो कई शैक्षणिक संस्थान चला रहा है। उन्होंने बेहद सादा जीवन जिया और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। उनका निधन सितंबर 1971 में हो गया।

जब मैंने उच्च न्यायालय बार में प्रवेश किया, तब के.एल. मिश्रा उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता थे। वे निरसदेह उस समय देश के महानतम वकीलों में से एक थे। दिसंबर 1991 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उत्तर-शताब्दी रजत जयंती के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका में सिद्धार्थ शंकर राय द्वारा लिखित ‘के.एल. मिश्रा-मेनी स्पेलन्ड मैन’ नामक एक लेख है। उसमें जो कुछ कहा गया है, उसमें मैं शायद ही कुछ जोड़ सकता हूँ, और इसलिए ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करूँगा।

उस युग में जगदीश स्वरूप एक और महान अधिवक्ता थे। वे ज्ञान के भंडार थे और कानून की हर शाखा पर उनका पूरा अधिकार था। वह 1969 से 1972 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा ‘मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता’ पर टैगोर कानून व्याख्यान देने के लिए सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने 1972 में दिया था। ये व्याख्यान एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए हैं। इस पुस्तक को सरसरी तौर पर पढ़ने से ही उनके ज्ञान और विद्वत्ता का अंदाजा लग जाता है। इसमें उन्होंने अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालयों के फैसलों के साथ-साथ राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन और समाजशास्त्र पर आधिकारिक

पुस्तकों का भी उल्लेख किया है। हालांकि उन्होंने आपराधिक मामलों की तकालत नहीं की, मैंने न्यायाधीशों को उनसे न्यायालय की मदद करने का अनुरोध करते देखा है, जब कभी कोई मुश्किल या जटिल कानूनी मुद्दा उठता था, और वह हमेशा इसे बहुत अच्छे से करते थे। 'ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स' नामक यह पुस्तक 1975 में एनएम त्रिपाठी प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे द्वारा प्रकाशित हुई थी, लेकिन अब यह अनुपलब्ध है। इसलिए मैंने इसे पुस्तकालय से उधार लेकर पूरी किताब की फोटोकॉपी करवा ली। मेरे वरिष्ठ अंबिका प्रसाद और जगदीश स्वरूप अक्सर बड़े सिविल अपीलों में एक-दूसरे के खिलाफ होते थे।

आपराधिक पक्ष में तीन महान अधिवक्ता थे, जिनका नाम सी.एस. सरन, एस.एन. मुल्ला जो बैरिस्टर थे, और पी.सी. चतुर्वेदी था। सी.एस. सरन बेहद मेहनती थे और सबूतों की गहराई में जाते थे, उन पर बारीकी से विचार करते थे और अक्सर एक नया बिंदु खोज लेते थे, जो शायद उन वकीलों के दिमाग में नहीं आया हो जिन्होंने ट्रायल किया था और लंबे समय तक मामले को संभाला था। कभी-कभी सत्र ट्रायल में बहस के चरण में उच्च न्यायालय के वकीलों को भी लगाया जाता था। मार्च 1966 में, सरन एक मुश्किल दोहरे हत्याकांड के मामले में बहस के लिए 235 किमी दूर बस्ती गए और मैं उनके साथ गया। जैसे ही हम सुबह 5 बजे निकले, उन्होंने मुझसे फाइल खोलने और सबूत रखने के लिए कहा और पूरी यात्रा के दौरान वह पूरी तरह से मामले की तैयारी में लगे रहे। थोड़ा भोजन करने के बाद, वह जल्दी से न्यायालय पहुंचे और पूरे दिन मामले में बहस की। यहाँ तक कि दोपहर के भोजन के समय भी वह मूल रिकॉर्ड देखने के लिए न्यायालय कक्ष में ही रहे। शाम 4:30 बजे बहस खत्म होने के बाद, वापसी की यात्रा न्यायालय से ही शुरू हुई और उन्होंने कार में आए एक अन्य व्यक्ति को पिछली सीट पर बैठने के लिए कहा। सरन ने तुरंत अपने उस मामले की तैयारी शुरू कर दी, जिसकी बहस अगले शनिवार को दूसरे जिले में तय थी। इलाहाबाद पहुँचने के बाद, वह अपने निवास स्थान पर नहीं गए, बल्कि 4, ताशकंद मार्ग स्थित अपने कार्यालय गए। संयोग से, मैंने उस अन्य व्यक्ति को सोमवार को उच्च न्यायालय में देखा और मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि सरन ने रात 10 बजे तक काम किया था। मैंने सरन के काम करने के तरीके की प्रशंसा की कि कैसे उन्होंने बिना किसी विराम के सुबह 5 बजे से लगातार काम किया, इसके अलावा एक फिट कार में लगभग 500 किमी की सड़क यात्रा भी की।

पी.सी. चतुर्वेदी अत्यंत बुद्धिमान थे और उनकी याददाश्त असाधारण थी। वे धाराओं को शब्दशः दोहरा सकते थे। 70 के दशक की शुरुआत में, मैंने उन्हें एक बड़े षड्यंत्र के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया था, जहाँ 120 से अधिक गवाहों की जाँच की गई थी। जब मैंने उन्हें जानकारी दी, तो उन्होंने एक हजार से अधिक पन्नों की पेपर बुक को दो घंटे से कुछ अधिक समय में ही सरसरी निगाह से देख लिया। चूंकि केवल एक ही प्रति थी, मैं आगे की तैयारी के लिए पेपर बुक वापस ले आया। उन दिनों फोटोकॉपियर अज्ञात थे और कोई भी टाइपिस्ट इतने सारे पन्ने टाइप करने को तैयार नहीं था। एक महीने से अधिक समय बाद, जब सुबह कॉज लिस्ट आई, तो मैंने देखा कि अपील सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई थी। चूंकि पेपर बुक मेरे पास थी, मैंने उन्हें यह सूचित करने के लिए फोन किया कि मैं स्थगन की मांग करूँगा। लेकिन चतुर्वेदी ने कहा कि चूंकि वह उस दिन खाली थे और यह एक बड़ा मामला था, इसलिए वह अपील की बहस करेंगे, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं उनके बगल में रहूँ और एक मिनट के लिए भी न्यायालय न छोड़ूँ। हालाँकि मैंने उन्हें एक महीने से अधिक समय पहले जानकारी दी थी, जब उन्होंने केवल पेपर बुक के महत्वपूर्ण पन्नों को ही सरसरी निगाह से देखा था, फिर भी उन्होंने अपील पर इस तरह से बहस की, जिससे ऐसा लगा कि उन्हें मामले का हर शब्द याद था।

मैं जनवरी 1965 में जब उच्च न्यायालय के बार में शामिल हुआ, तो जस्टिस एम.सी. देसाई, आई.सी.एस. मुख्य न्यायाधीश थे। वे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। जस्टिस वी. भार्गव, आई.सी.एस. उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन उन्हें थोड़े ही समय में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत कर दिया गया। अगले आई.सी.एस. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी.जी. ओक थे। वे महान सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। वे इतने समय के पाबंद थे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप

में उनके 16 वर्षों के लंबे कार्यकाल में, वे कभी भी एक मिनट भी देर से नहीं आए। वे ठीक सुबह 10:00 बजे न्यायालय में बैठते थे, दोपहर के भोजन के लिए 1:00 बजे उठते थे, फिर 1:45 बजे बैठते थे और 3:45 बजे तक काम करते थे, जब न्यायालय उस दिन के लिए बंद हो जाती थी। वे कभी भी कोई फैसला सुरक्षित नहीं रखते थे। यदि किसी मामले में बहस 3:40 बजे समाप्त होती, तो वे उठते नहीं, बल्कि 3:45 बजे तक फैसला सुनाते थे। हालाँकि उन्होंने अपना पूरा करियर उत्तर प्रदेश राज्य में बिताया था, उन्होंने पुरानी परंपरा का पालन किया और अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक अगले दिन सुबह 10:30 बजे बॉम्बे मेल से अपने पैतृक घर पूना के लिए इलाहाबाद छोड़ दिया। कई वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता उन्हें विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन गए। जस्टिस ओक न्यायालय में बिल्कुल अडिग रहते थे। उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया और न ही कभी मुस्कुराए। मुख्य न्यायाधीश के रूप में वे शुक्रवार को दोपहर के भोजन के बाद के समय में प्रशासनिक कार्य करते थे। मार्च 1971 में, होली की छुट्टियों के बाद, उच्च न्यायालय शुक्रवार को फिर से खुला। वे दोपहर के भोजन से पहले की अवधि में अकेले बैठे थे और उनके समक्ष सुनवाई के लिए दस आपराधिक पुनरीक्षण सूचीबद्ध थे, लेकिन नौ मामलों में वकीलों की बीमारी की पर्तियाँ थीं। कई सरकारी अधिवक्ता भी लंबी छुट्टियों का लाभ उठाने के लिए न्यायालय नहीं आए थे और मेरी नियुक्ति उनके न्यायालय में की गयी थी, क्योंकि मुझे कुछ महीने पहले ही आपराधिक पक्ष में ब्रीफ होल्डर नियुक्त किया गया था। बेंच सेक्रेटरी ने एक-एक करके मामलों को बुलाया, आवेदकों के अधिवक्ता की बीमारी की पर्ती की ओर इशारा किया। जस्टिस ओक ने “पास ओवर” कहा और देखते ही देखते सूची का अंत आ गया। उसके बाद सूची को पुनः पुकारा गया और प्रत्येक मामले को सुनवाई के लिए लिया गया। राज्य के लिए मेरी बात सुनने के बाद, उन्होंने फैसला सुनाया और इस तरह सभी आपराधिक संशोधन अंततः तय कर दिए गए। दस में से नौ मामलों में बीमारी की पर्तियाँ पाकर, कोई भी अन्य न्यायाधीश यह टिप्पणी कर सकता था कि बीमारी की पर्तियाँ झूठी थीं या लंबी छुट्टियों का लाभ उठाने के लिए भेजी गई थीं या उसने कुछ असंतोष व्यक्त किया हो या वह उठ गया हो। लेकिन जस्टिस ओक बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और मेरी (सरकारी अधिवक्ता) बात सुनने के बाद योग्यता के आधार पर पुनरीक्षणों का फैसला किया, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 441 (वर्तमान धारा 404 सीआरपीसी) के मद्देनजर अनुमेय था। मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे मुख्य न्यायाधीश की न्यायालय में दोपहर के भोजन से पहले की पूरी अवधि में बहस करने का अवसर मिला, जो उन दिनों एक कनिष्ठ अधिवक्ता के लिए बहुत दुर्लभ था।

कुछ सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों ने अपने ज्ञान और अपने द्वारा लिखे गए फैसलों की गुणवत्ता के कारण एक महान नाम छोड़ा था। जब मैंने बार में प्रवेश किया था, उससे काफी समय पहले ही जस्टिस ए.पी. श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता उनके बारे में बहुत बात करते थे। कुछ साल पहले दिल्ली में आयोजित एक समारोह में, जस्टिस माकडिय काटजू और मैं, पूर्व सीजेआई जस्टिस के.एन. सिंह के पास बैठे थे। जस्टिस सिंह ने पूछा कि उच्च न्यायालय में इतने मामले लंबित क्यों हैं। जस्टिस काटजू ने जवाब दिया कि बहुत सारे रिट याचिकाएं हैं जिन्हें अधिकांश सेवा-निवृत्त न्यायाधीश संभाल नहीं पाते हैं। जस्टिस सिंह ने टिप्पणी करने में एक सेकंड भी नहीं लगाया, “क्यों? जस्टिस ए.पी. श्रीवास्तव संवैधानिक मुद्दों से जुड़ी सबसे जटिल रिट याचिकाओं का फैसला करते थे और अच्छे निर्णय लिखते थे।” मैं हैरान था कि जस्टिस सिंह, जिन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए फैसले देखे थे, उन्हें अभी भी इतने अधिक सम्मान के साथ एक ऐसे व्यक्ति याद थे जो पचास साल से भी अधिक समय पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे।

जस्टिस एस.डी. सिंह एक और सेवा-निवृत्त न्यायाधीश थे जिन्हें बहुत विद्वान और कानून की सभी शाखाओं में पारंगत माना जाता था। जब मैं 1965 में बार में शामिल हुआ, तब वे सेवानिवृत्त हो चुके थे लेकिन तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जैसे लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन, रूपी जमींदारी एवोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, लॉ ऑफ सेल्स टैक्स इन रूपी और कुछ अन्य। लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन के पहले संस्करण की प्रस्तावना के अंत में तारीख और स्थान ‘आजमगढ़, 1 जनवरी, 1941’ का उल्लेख है। उस समय वे शायद जिला न्यायाधीश भी नहीं रहे होंगे और उन दिनों आजमगढ़ में बिजली भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक ऐसे कठिन विषय पर अंग्रेजी मामलों के

संदर्भों के साथ इतनी अच्छी किताब लिखी। जस्टिस बावन दास अग्रवाल एक और उत्कृष्ट सेवा-निवृत्त न्यायाधीश थे, जिन्हें संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून और रिट से संबंधित कार्यों का बहुत अच्छा ज्ञान था। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक कानून था, जिसमें यह प्रावधान था कि यदि परीक्षा अधीक्षक किसी परीक्षा पत्र में छात्रों द्वारा सामूहिक नकल की रिपोर्ट करता है, तो उस विशेष पेपर में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में से 30 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे। मैंने एक छात्रा की ओर से एक रिट याचिका दायर की, जिसने दावा किया कि उसने कोई नकल नहीं की थी, लेकिन उपर्युक्त कानून के आधार पर उसके अंक गलत तरीके से काट लिए गए थे। बिश्वेश्वर दयाल अग्रवाल, जिन्हें 1979 में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर से वकालत शुरू कर दी थी, विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए। उन्होंने जस्टिस के.सी. अग्रवाल द्वारा लिखित एक खंडपीठ का फैसला रखा, जिसमें कानून की वैधता को बरकरार रखा गया था। किसी तरह, मैं जस्टिस एच.एन. सेठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को समझाने में सफल रहा और मामला बड़ी पीठ को भेज दिया गया। रिट याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एन. सुवला, जस्टिस गोपी नाथ और जस्टिस बावन दास अग्रवाल की पूर्ण पीठ ने की। जस्टिस सुवला का अंग्रेजी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी और वे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अंशकालिक व्याख्याता रह चुके थे। जस्टिस गोपी नाथ पुराने विचारों के, बहुत धार्मिक और रूढ़िवादी थे। इन दोनों न्यायाधीशों के लिए, 'नकल' शब्द का उल्लेख मात्र ही घृणित था। मामले की सुनवाई तीन दिनों तक चली। मैंने चुपचाप उनके लंबे व्याख्यान सुने, जो नैतिक मानकों में गिरावट, छात्रों में बढ़ते अनुशासनहीनता और वे अपने शिक्षकों को कैसे धमकाते और धमकी देते हैं, इस बारे में थे। मैंने यह भी उपदेश सुने कि "प्राचीन भारत में गुरुकुल कैसे कार्य करते थे और छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान और पूजा कैसे करते थे।" अंत में, फैसला सुनाया गया। इसे जस्टिस बावन दास अग्रवाल ने लिखा था, जिनसे अन्य दो न्यायाधीश सहमत थे। रिट याचिका स्वीकार कर ली गई, कानून को रद्द कर दिया गया और जस्टिस के.सी. अग्रवाल, जो उनके सगे भाई थे, सेवा में वरिष्ठ लेकिन उम्र में छोटे थे, द्वारा लिखे गए खंडपीठ के फैसले को रद्द कर दिया गया। यह मामला कुमारी मधुलिका माथुर बनाम गोरखपुर विश्वविद्यालय 1984, इलाहाबाद लॉ जर्नल 618 के रूप में दर्ज है।

1986 से पहले एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन केवल 3,500 रुपये प्रति माह था और कोई अतिरिक्त सुविधाएँ नहीं थी। न्यायाधीश अपनी खुद की कार से न्यायालय आते थे जो अक्सर काफी पुरानी होती थी और कभी-कभी रास्ते में खराब हो जाती थी। उनके आवासों पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होते थे। पीएसओ (निजी सुरक्षा अधिकारी) 1994 में प्रदान किए गए थे। न्यायाधीश समाज में अपने ज्ञान, काम के प्रति समर्पण और सादगी के कारण सम्मान पाते थे। एक बार, उच्च न्यायालय से लौटते समय, मैं कुछ दवाइयाँ खरीदने के लिए सिविल लाइंस में रामा के स्टोर पर रुका। उसी समय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक बहुत सम्मानित न्यायाधीश जस्टिस बिशम्बर दयाल, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, भी साइकिल रिवशा से वहाँ आए। मई का महीना था, दिन का तापमान बहुत अधिक था और तेज गर्म हवा चल रही थी। जब उन्होंने दवाइयाँ खरीद लीं, तो मैंने उनसे अपनी कार में मेरे साथ चलने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे घर का स्थान उनके घर से आगे था और मैं हर दिन उच्च न्यायालय जाते और वापस आते समय उनके घर के सामने से गुजरता था। लेकिन उन्होंने कहा कि रिवशा किराए पर लेते समय उन्होंने रिवशा चालक से कहा था कि वह उनके साथ दोनों तरफ की यात्रा करेंगे और मेरे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी मेरी कार में बैठने से इनकार कर दिया।

पहले, बिजली का जाना काफी सामान्य था और उच्च न्यायालय में कोई जनरेटर नहीं था। जस्टिस बी.एन. काटजू बिजली चले जाने के कारण न्यायालय कक्ष में गर्म और उमस भरे माहौल की शिकायत करने वालों से बहुत परेशान होते थे। वे तुरंत जवाब देते, "मुझे लगता है कि आपका जन्म भारत में हुआ था। बेहतर होगा कि आप इसकी आदत डाल लें।" कभी-कभी वे अपने चौम्बर के पीछे बरामदे में एक छोटी मेज लगवाते और वही मामलों की सुनवाई करते थे। मेरे शुरुआती वर्षों में मुझे बार के कई सदस्यों से अच्छी सलाह और समर्थन मिला। जब मैंने वकालत में सिर्फ सात या आठ महीने ही पूरे किए थे, तो मुझे एक आपराधिक पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण मिला, जिसमें अधिकार क्षेत्र के कानून पर एक सीधा सवाल शामिल था। मैंने मामले के तथ्य, प्रासंगिक प्रावधान, यानी सीआरपीसी की धारा 179 और एआईआर 1934

इलाहाबाद 490 में रिपोर्ट किए गए एक पूर्ण पीठ के फैसले को रखा, जो सीधे तौर पर इस बिंदु पर था। लेकिन न्यायाधीश ने खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। एस.एस. तिवारी, जो सामने की पंक्ति में लेकिन दूर बैठे थे, खड़े हुए और कहा, “माई लॉर्ड्स मेरे युवा मित्र के पास एक उत्कृष्ट मामला है।” फिर उन्होंने धारा पढ़ी और पूर्ण पीठ के फैसले की व्याख्या की। न्यायाधीश ने तिवारी की बात सुनी और केस कानून पढ़ने के बाद स्वीकृति और स्थगन का आदेश पारित कर दिया। तब तक तिवारी से मेरी किसी भी तरह की कोई जान-पहचान नहीं थी, न ही वह मुझे या मेरा नाम जानते थे। यह एक अनजान कनिष्ठ अधिवक्ता के लिए तिवारी की ओर से एक तरह का दयालु भाव था। बी. सेन ने उन कुछ वकीलों के नाम भी बताए हैं जो नियमित रूप से उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की बहस करने आते थे और उनमें मुझे इलाहाबाद से जी.एस. पाठक, पियरे लाल बनर्जी, जी.सी. माथुर और के.बी. अस्थाना का नाम मिला। बाद में ये दोनों न्यायाधीश बने। मुख्य न्यायाधीश अस्थाना ने पाँच-न्यायाधीशों की पीठ के लिए ऐतिहासिक फैसले लिखे, जिसमें आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार किया गया था। डॉ. एन.पी. अस्थाना, जो 1937 में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता बने थे, संघीय न्यायालय के समक्ष पेश होते थे और उनका नाम कई रिपोर्ट किए गए फैसलों में आता है। सर्वोच्च न्यायालय में मेरे पाँच साल से कुछ अधिक के कार्यकाल में, मैंने अपनी न्यायालय में इलाहाबाद से एक भी अधिवक्ता को नहीं देखा, हालाँकि यहाँ कुछ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ वकीलों के बराबर हैं।

उच्च न्यायालय अब ताज़ा और नए मामलों से भर गया है, जिससे मामलों की अंतिम सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और परिणामस्वरूप भारी लंबित मामले और बैकलॉग हो गए हैं। हाल के दिनों में ‘राहत देने वाले न्यायाधीश’ और ‘तेज़ न्यायाधीश’ जैसे कुछ नए शब्द गढ़े गए हैं। कभी-कभी पूरी तरह से अयोग्य मामलों में भी लापरवाही से मामले स्वीकार किए जाते हैं या नोटिस जारी किए जाते हैं, जिससे लंबित मामलों में वृद्धि होती है। पहले, मामलों को सावधानीपूर्वक और गहन जाँच के बाद ही स्वीकार किया जाता था या नोटिस जारी किए जाते थे और अयोग्य मामलों को तुरंत खारिज कर दिया जाता था। एक बार मैं अंतिम सुनवाई के लिए एक सिविल पुनरीक्षण पर बहस कर रहा था, लेकिन न्यायाधीश ने लगभग तुरंत ही मेरे सभी तर्कों को खारिज कर दिया। अंत में, मैंने बताया, “माई लॉर्ड, इस पुनरीक्षण को जस्टिस एन.डी. ओझा ने स्वीकार किया था।” इस तथ्य की पुष्टि करने के बाद न्यायाधीश का रवैया पूरी तरह से बदल गया। वे मेरे तर्कों पर ध्यान देने लगे, रिकॉर्ड और मेरे द्वारा उद्धृत निर्णयों को देखा, प्रतिवादी को बुलाया और पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया। जस्टिस ओझा मामलों की बारीकी से जाँच करते थे और केवल उन्हीं मामलों को स्वीकार करते थे जिनमें सफलता की अच्छी संभावना होती थी। यह बात कम ही महसूस की जाती है कि यदि किसी अयोग्य मामले को स्वीकार किया जाता है या नोटिस जारी किया जाता है, तो यह न केवल उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को बढ़ाता है, बल्कि प्रतिवादी को भी भारी कठिनाई होती है, जिसे उच्च न्यायालय में मामले की पैरवी करने में समय और पैसा खर्च करना पड़ता है।

लखनऊ से ही कार्य कर रहा लोक सेवा न्यायाधिकरण उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना राज्य में कम से कम दस या उससे अधिक जिलों में की जानी चाहिए और उन्हें न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि कॉलेजों के कर्मचारियों और शिक्षकों, स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के कर्मचारियों के सेवा विवादों की सुनवाई का अधिकार भी होना चाहिए।

लेखक

लेखक ने भौतिकी में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की, कानून में स्नातक किया और 1964 में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। उनका दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में बहुत सफल अभ्यास था। उन्होंने यूपीएसईबी और सभी प्रमुख बीमा कंपनियों के लिए वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। उन्हें 6 जुलाई, 1990 को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 25 नवंबर, 2002 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्हें 19 दिसंबर, 2002 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जहाँ से वे 18 जनवरी, 2005 को सेवानिवृत्त हुए। वह 15 अप्रैल, 2008 से 18 जनवरी, 2013 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रहे।

इतिहास लेखन - इतिहास निर्माण

द्वारा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

आज हम अस्तित्व के 150 वर्ष नहीं, बल्कि न्याय की खोज में डेढ़ शताब्दी से भी अधिक की उत्कृष्टता का उत्सव मना रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, 2016 में 150 वर्ष पूरे कर रहा है। अपनी 100 वर्षों की यात्रा के बाद, 1966 में भव्य शताब्दी समारोह आयोजित किए गए और फिर 1991 में 125 वर्ष पूरे होने पर, शताब्दी के बाद रजत जयंती समारोह आयोजित किए गए।

2016 में 150वीं वर्षगांठ के समारोहों की योजना और निष्पादन का बीज 2013 के मध्य में ही बो दिया गया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शिव कीर्ति सिंह द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इसे उपयुक्त रूप से '150वीं वर्षगांठ समिति' कहा गया और न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 150वीं वर्षगांठ समिति ने 22 जुलाई, 2013 की अपनी बैठक में समारोह के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए उप-समितियों का गठन किया। स्मृति ग्रंथ उप समिति में न्यायमूर्ति गुप्ता, न्यायमूर्ति स्थलेकर, न्यायमूर्ति मित्तल सदस्य के रूप में और मैं इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल था। इस प्रस्ताव को मुख्य न्यायाधीश द्वारा 9 अगस्त, 2013 को मंजूरी दी गई।

150वीं वर्षगांठ समारोह अतीत को याद करने और वर्तमान को नवीनीकृत करने का एक उपयुक्त अवसर है। यह इस दिशा में एक प्रयास है कि अपने अतीत के गौरव और सपनों को 'कहीं हम भूल न जाएं'। यह स्मृति ग्रंथ मुख्य रूप से शताब्दी के बाद के रजत जयंती समारोहों के बाद की अवधि पर केंद्रित है। इसका प्रयास, पिछले खंडों की तरह, बीते समय की आशाओं और आकांक्षाओं, उपलब्धियों और विफलताओं और इसके पीछे के लोगों की एक संस्थागत स्मृति बनाना है। उप-समिति ने सैद्धांतिक रूप से, सभी के लिए दरवाजे खोलने और संस्थान को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। प्रयास यह था कि इस ग्रंथ को हमारे कैनवास के सभी रंगों का प्रतिनिधि बनाया जाए। हमने सचेत रूप से एक एकांतवास में बैठकर एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाने और उच्च न्यायालय का एक अलंकृत संस्करण प्रस्तुत करने से परहेज किया। बार और बेंच के सभी युवा और वरिष्ठ लोगों की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। इस ग्रंथ को बनाने का कार्य एक शानदार अनुभव था, हालांकि, चयन की प्रक्रिया दर्दनाक थी। लेखों को पढ़ना एक सुखद अनुभव रहा है। वेदांतिक आदर्शों से लेकर संवैधानिक कानूनों तक, कानून के गंभीर विषयों से लेकर हास्य-विनोद तक, ऐतिहासिक स्मृतियों से लेकर समकालीन मुद्दों तक विविध विषयों पर विभिन्न स्रोतों से योगदान प्राप्त हुए। ये योगदान इस ग्रंथ को समृद्ध करते हैं और पाठक को शिक्षित करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी योगदानकर्ताओं के प्रति उनकी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालने के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

ग्रंथ का शीर्षक 'गैवल एंड पेन' ('Gavel and Pen') बड़े विचार-विमर्श के बाद संकलित पांच दर्जन से अधिक शीर्षकों में से चुना गया था। यह शीर्षक विधिक समुदाय का प्रतीक है और कानूनी प्रक्रिया का एक संक्षिप्त चित्र है। 'गैवल' कानून के सर्वोच्च अधिकार को दर्शाता है और 'पेन' ज्ञान और न्याय की शक्ति का प्रतीक है।

इस ग्रंथ को लाने का श्रेय टीम के सभी सदस्यों को दिया जाना है। समिति में मेरे आदरणीय सहयोगियों की बौद्धिक और भावनात्मक क्षमताओं का इस कार्य को पूरा करने में भली-भांति उपयोग किया गया। उनके बिना शर्त समर्थन, ईमानदार और स्पष्ट राय और कड़ी मेहनत की क्षमता का फल मिला है, और इस प्रकार हम इस प्रकाशन को लाने में सक्षम हुए हैं।

बार के मित्रों, अशोक, जयंत, अजय, राजीव और रंजन ने मुझे उनके समय, विवेक और ज्ञान का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी। उनका समर्थन न केवल तहेदिल से था बल्कि अपरिहार्य भी था। उन्होंने तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि और महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए जिससे इस ग्रंथ की तैयारी में काफी मदद मिली।

स्वास्ति, नेहा, प्रियांशु, अपूर्व, नजम, फिजा और चिंतन से युक्त युवा टीम ने हमेशा काम को आनंददायक बनाया। उन्होंने दिन-प्रतिदिन महीनों तक कड़ी मेहनत की है। उनकी प्रतिभा उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य का आश्वासन देती है। उनकी युवा ऊर्जा, आदर्शवाद और कार्य करने की क्षमता इस संस्था के लिए और भी बेहतर कल की आशा जगाती है। मेरे सचिवीय कर्मचारियों का हिस्सा होने के नाते प्रेम कुमार, एस.एस. नारंग, आर.पी. शुक्ला और ज्योत्सना सिंह हमेशा उपलब्ध थे। वे पूरे समय कुशल, शिकायत रहित और प्रसन्नचित्त रहे।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जया कपूर चट्टा का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। उन्होंने समय-समय पर अपना बहुत सा बहुमूल्य समय लगाकर पांडुलिपियों का संपादन किया। उप-समिति उनकी सदैव आभारी रहेगी।

मोनीजा नकवी के कुशल नेतृत्व में टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम ने सराहनीय योगदान दिया। उनके ग्राफिक डिजाइनर, कम्बर अली के सुझाव सबसे रचनात्मक थे और उनकी प्रतिबद्धता बिना शर्त थी। मोनीजा ने मुझे लगातार समय-सीमा की याद दिलाई, लेकिन सभी दबावों के बीच अपना संयम बनाए रखा। उनके धैर्य और व्यावसायिकता को सलाम! मोनीजा ने कार्य के लिए संचार और नोट्स के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उन्होंने ग्रुप का नाम 'गैवल एंड पेन' ('Gavel & Pen') रखा और प्रोफाइल पिकचर के रूप में हथौड़े और पेन का लोगो बनाया। शीर्षक और लोगो ने इस अवसर को परिभाषित किया। हमने शीर्षक और लोगो को अपनाया और इसे अपना बना लिया।

जैसे-जैसे काम आगे बढ़ा, हमें इस विशाल परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक परिश्रम, समय, ऊर्जा और रचनात्मकता की अभूतपूर्व मात्रा का एहसास हुआ। लेकिन इसमें शामिल सभी के समर्थन से हम अपनी संतुष्टि के अनुसार और समय पर इस ग्रंथ को सामने ला पाए हैं।

स्मृति ग्रंथ को लाने के अनुभव को शब्दों में कभी भी पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। खुशी और संतुष्टि अपार थी। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, और 150वीं वर्षगांठ समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल का हमेशा ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे यह कर्तव्य सौंपा। पूरी परियोजना के दौरान उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया और उप-समिति को बहुमूल्य सलाह और सुझाव दिए। सभी चरणों में उनका समर्थन निरंतर और उत्साहजनक था। उनका विश्वास मेरी बहुमूल्य निधि है।

इस यात्रा के दौरान मुझे न केवल युवा पीढ़ी के वकीलों बल्कि महत्वाकांक्षी अधिवक्ताओं के साथ भी बातचीत करने का अवसर मिला। मुझे यह आश्वासन हुआ कि हम केवल उस विरासत के संरक्षक हैं जिसका हम आज जश्न मना रहे हैं। यह विरासत जल्द ही और सही मायनों में स्पष्ट उत्तराधिकारियों द्वारा इसे और समृद्ध करने के लिए दावा की जाएगी। मैं समाप्त करने से पहले अपने युवा मित्रों को एक सलाह देना चाहता हूँ। उच्च न्यायालय कोई साधारण स्थान नहीं है। यह अनिश्चितता और संभावनाओं का सागर है। एक कमजोर दिमाग या एक डांवाडोल आत्मा इसकी विशालता में खूद को खो सकती है। यह पसीने, आँसू और निरंतर परिश्रम की भेंट स्वीकार करता है। उथले और स्थिर पानी की तुलना में एक महासागर में तैरने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। यदि किसी ने इस सागर में कूदने का निर्णय किया है, तो जीवित रहने और तैरकर पार करने के लिए, उसे करुणा और प्रतिबद्धता के साथ समर्पण, पूर्ण दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम करना चाहिए।

हम इस ग्रंथ को अनमोल और सुखद यादों के साथ लाते हैं। भले ही प्रक्रिया कठिन थी, परिणाम हमारे दिलों को प्रेरित करने वाली आशाओं और आदर्शों के साथ एक अत्यंत संतोषजनक अनुभव रहा है। आइए हम सब एकता के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ें, जिसमें बार ज्ञान से ऊपर उठे और बेंच, विवेक के आगे झुके, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का सर्वश्रेष्ठ अतीत में नहीं है।

अवध के मुख्य न्यायालय से गोमतीनगर स्थित वर्तमान उच्च न्यायालय तक की यात्रा

द्वारा न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार अरोरा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और लखनऊ पीठ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अभिन्न अंग है। लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल द्वारा अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया गया और बारह जिलों – लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, गोंडा, बहराइच, सीतापुर और खीरी – को मिलाकर अवध नामक अलग प्रांत बनाया गया। यह व्यवस्था 4 फरवरी 1856 के सरकारी आदेश के अनुसार की गई। अवध का न्यायिक प्रशासन, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों से अलग था। वहाँ के अधीनस्थ न्यायालय भी अलग कैडर के थे और यह स्थिति 1948 तक बनी रही।

अवध के विलय के बाद, 1856 में लखनऊ में एक न्यायिक आयुक्त (Judicial Commissioner) की अदालत स्थापित हुई, जो दीवानी और आपराधिक मामलों के निस्तारण के लिए उच्च अपीलीय अदालत थी। यह लगभग 70 वर्षों तक कार्यरत रही, केवल 1857-58 के विद्रोह के समय इसका कार्य कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। उस समय, किराया और राजस्व से संबंधित मामलों में न्यायिक आयुक्त सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकारी नहीं था, बल्कि एक वित्त आयुक्त (Financial Commissioner) को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। परंतु अधिनियम संख्या XXXII, 1871 के माध्यम से वित्त आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया और धारा 84 के अनुसार उसके सभी कार्य न्यायिक आयुक्त अवध को सौंप दिए गए, जिससे वह सर्वोच्च प्राधिकारी बन गया। न्यायिक आयुक्त की अदालत में मामलों की संख्या अनवरत बढ़ती रही। बढ़ते कार्य के दबाव के साथ सामंजस्य बैठाने हेतु अधिनियम IV, 1885 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत समय-समय पर “अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त (Additional Judicial Commissioner)” की अस्थायी नियुक्ति की व्यवस्था की गई। जिसने अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त के कार्य को अधिक सरल कर दिया।

इसके बाद, अधिनियम XIV, 1891 (अवध न्यायालय अधिनियम) की धारा 4 में स्थायी अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 1897 में अधिनियम XVI (अवध न्यायालय (संशोधन) अधिनियम) लाया गया, जिसके अंतर्गत दूसरे अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान हुआ। कुछ अपवादों को छोड़कर, न्यायिक आयुक्त की अदालत में लगभग सभी न्यायाधीश भारतीय सिविल सेवा (IC) से थे।

अवध में न्यायिक प्रशासन की पुरानी और अपर्याप्त प्रणाली को देखते हुए जनता की माँग पर उत्तर प्रदेश अवध न्यायालय अधिनियम, 1925 पारित किया गया। इसके द्वारा अवध मुख्य न्यायालय (Chief Court of Oudh) की स्थापना की गई, जिसने न्यायिक आयुक्त की अदालत का स्थान लिया। इसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति और चार अन्य न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए। यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद, भारत शासन अधिनियम 1929 की धारा 80(3) के अंतर्गत गवर्नर-जनरल की अनुमति से पारित किया गया था। सन् 1937 में भारत सरकार (कानूनों का अनुकूलन) आदेश (Adaptation of Laws Order) के द्वारा भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत अवध मुख्य न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और इस प्रकार दो अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसी तरह, एक उच्च न्यायालय (High Court of Judicature) की स्थापना इलाहाबाद में हुई, जो आगरा और अवध के शेष जिलों पर अधिकार रखता था।

17 मार्च 1866 को, उत्तर-पश्चिमी प्रोविंसेस के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना रॉयल चार्टर द्वारा की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन और पाँच अन्य न्यायाधीश थे। 1866 का चार्टर इस नए उच्च न्यायालय को दीवानी, आपराधिक, उत्तराधिकार (testamentary and intestate) तथा वैवाहिक मामलों का अधिकार देता था। इस चार्टर के माध्यम से न्याय के दोहरे ढाँचे का विलय कर नया उच्च न्यायालय बना। संरक्षकता (guardianship), मानसिक रोगी (lunacy), उत्तराधिकार और संपत्ति से संबंधित अधिकार भी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किए गए। इलाहाबाद चार्टर की धारा 23 ने आपराधिक क्षेत्राधिकार के लिए भारतीय दंड संहिता को लागू किया। 11 मार्च 1919 को लेटर्स पेटेंट के पूरक पत्र द्वारा न्यायालय का नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad) कर दिया गया और सर ग्रिमवुड मीयर्स इसके मुख्य न्यायमूर्ति बने।

26 जुलाई 1948 को संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (विलय) आदेश, 1948 (United Provinces High Courts Amalgamation Order] 1948) पारित किया गया। इसके द्वारा नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेस के इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अवध मुख्य न्यायालय का विलय कर एक नया न्यायालय बनाया गया, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad) कहा गया। यह नया उच्च न्यायालय पूरे उत्तर प्रदेश राज्य पर अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) रखता था। यह आदेश 19 जुलाई 1948 से प्रभावी हुआ। इसके तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय को लेटर्स पेटेंट के अंतर्गत प्राप्त अधिकार और अवध मुख्य न्यायालय को अवध न्यायालय अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार दोनों संरक्षित रखे गए।

इस विलय से उत्तर प्रदेश की न्यायिक गरिमा और अधिक बढ़ी। विलय के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय दो स्थानों पर स्थापित हुआ – इलाहाबाद और लखनऊ।

लखनऊ में स्थित उच्च न्यायालय की इमारत कैसरबाग में थी, लेकिन वह कलेक्ट्रेट, सिविल कोर्ट, बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू और कमिश्नर कोर्ट के बीच घिरी होने के कारण स्थान की कमी से जूझ रही थी। इस कारण एक नई इमारत का प्रस्ताव सामने आया। 1993 में, माननीय न्यायमूर्ति सैयद सगीर अहमद (उस समय लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश और बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश) ने गोमतीनगर में उच्च न्यायालय की नई इमारत बनाने का विचार रखा। राज्य सरकार ने इसके लिए भूमि भी आवंटित की, परंतु विभिन्न कारणों से कार्य आगे नहीं बढ़ सका। 2004 में, माननीय न्यायमूर्ति जगदीश भट्टा (तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश, लखनऊ पीठ) की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय समिति बनी और इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए।

30 दिसंबर 2009 को, माननीय के.जी. बालकृष्णन (तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश) ने नई अत्याधुनिक इमारत की आधारशिला रखी। किंतु विभिन्न अड़चनों के कारण निर्माण कई वर्षों तक शुरू नहीं हो सका। बाद में, माननीय न्यायमूर्ति प्रदीप कांत, न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा के प्रयासों से निर्माण कार्य शुरू हुआ।

माननीय डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के नेतृत्व में यह निर्माण कार्य तेजी से पूरा हुआ। लगभग 40 एकड़ भूमि पर फैली इस विशाल इमारत में 57 न्यायालय कक्ष और 72 न्यायाधीशों के कक्ष बनाए गए। इस भव्य इमारत में महाधिवक्ता कार्यालय, 1440 अधिवक्ता कक्ष, पुस्तकालय, टंककर्मों एवं अधिवक्ता लिपिकों के लिए सुविधाएँ और ड्राइवरों के लिए विश्राम कक्ष जैसी व्यवस्थाएँ की गईं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के प्रतिष्ठित नए भवन का उद्घाटन 19.3.2016 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय टीएस ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक; उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव; भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश माननीय आरके अग्रवाल; पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी और अन्य प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं एवं अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस विशिष्ट भवन के लिए माननीय न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर द्वारा अद्भुत शब्द अंकित किए गए हैं।

इसी वर्ष 14 अप्रैल 2016 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ का समारोह भी लखनऊ पीठ की इसी नई इमारत में आयोजित हुआ, जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति माननीय हामिद अंसारी मुख्य अतिथि थे।

नई इमारत की वास्तुकला कालातीत (timeless) प्रतीत होती है, जिसमें विक्टोरियन, ग्रीक और नव-शास्त्रीय (दमव-बसेंपबंस) शैलियों का समन्वय है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का संयोजन भवन को

एकीकृत और सुसंगत बनाता है। पत्थर की नक्काशी, जाली कार्य, वृत्ताकार स्तंभ, घुमावदार अग्रभाग, रणनीतिक रूप से बनाए गए गुंबद, बड़े सीढ़ीनुमा मार्ग और हटके ढलान वाले रैंप इस इमारत को एक भव्य पहचान देते हैं।

भूतल पर न्यायाधीशों के लिए विशाल पुस्तकालय स्थापित किया गया है, जिसमें लगभग 3.50 लाख पुस्तकों को संग्रहित करने की क्षमता है। यह पुस्तकालय न्यायालय के लिए कानूनी संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा संचालित होता है। इसमें कोहा (KOHA) सॉफ्टवेयर अपनाया गया है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पुस्तकालय स्वचालन के लिए निर्देशित किया है।

अधिवक्ताओं के लिए, तीन पाँच-मंजिला ब्लॉक बनाए गए हैं, प्रत्येक ब्लॉक में 128 कक्ष हैं। इसके अतिरिक्त, महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विशाल क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। एक विशाल सम्मेलन कक्ष/ऑडिटोरियम बनाया गया है, जिसमें एक साथ 3,500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। इस सम्मेलन कक्ष की एक विशेषता है कि यह बिना स्तंभों (वपससंत-समे) का है। अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा AIR & café है, जहाँ वे पुस्तकों और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर निःशुल्क केस-लॉ खोज सकते हैं। भवन में तीन-स्तरीय भूमिगत पार्किंग भी है, जिसमें 5000 चारपहिया और 15,000 दोपहिया वाहनों के खड़े होने की सुविधा है। अन्य सुविधाओं में, अभिलेखागार और संग्रहालय के लिए विशाल हॉल, अधिवक्ताओं और अधिकारियों के लिए अलग-अलग कैटीन, कर्मचारियों के लिए कैटीन, मनोरंजन सुविधा, क्रेच(शिशुगृह) ड्राइवरों के लिए प्रतीक्षालय तथा सभी विकिन्सीय शाखाओं के लिए विकिन्सालय (Dispensary) भी शामिल है।

भवन के निर्माण में हरियाली और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप होने का पूरा ध्यान रखा गया है। भवन में वर्षा जल संचयन, सीवेज प्रणाली, जल निकासी लाइनें, जल आपूर्ति और 600 केएलडी क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र की एक उपयुक्त व्यवस्था है। भवन के अंदर का परिदृश्य इसे और भी प्रमुख बनाता है और एक मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। हरियाली से भरे विशाल लॉन के किनारों पर दुर्लभ किस्मों जैसे रुद्राक्ष, पारिजात और औषधीय गुणों वाले पौधे लगाए गए हैं।

कर्मचारियों के लिए कैटीन, मनोरंजन सुविधा, क्रेच, ड्राइवरों के लिए प्रतीक्षालय आदि जैसी विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इस भवन में एक अलग मध्यस्थता केंद्र भी है, जिसमें एक छोटा सभागार है जहाँ बातचीत और विचार-विमर्श हो सकता है। इस भवन में राष्ट्रीयकृत बैंक, अस्पताल, डाकघर और संपूर्ण अग्निशमन प्रणाली की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यायालय में किशोर न्याय समिति (Juvenile Justice Committee) का सचिवालय भी है, जिसका उद्घाटन 28 जुलाई 2017 को हुआ। यह सचिवालय किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करता है। इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधा भी है, जो राज्यभर के सरकारी संरक्षण गृहों में लगाए गए CCTV कैमरों से जुड़ी है।

इन सुविधाओं के अतिरिक्त, तकनीकी विकास के साथ तालमेल रखते हुए, दो न्यायालय ई-कोर्ट्स के रूप में कार्यरत हैं, ताकि पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है। 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष भी बनाए गए हैं, एक मुख्य न्यायाधीश ब्लॉक में, एक वरिष्ठ न्यायाधीश ब्लॉक में, और एक वरिष्ठ रजिस्ट्रार ब्लॉक में।

4 अक्टूबर 2016 एक ऐतिहासिक दिन बना, जब माननीय मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहेब भोसले के नेतृत्व में न्यायालय ने इस नई इमारत में कार्य करना प्रारंभ किया। इससे पहले माननीय डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) का इस इमारत के निर्माण में विशेष योगदान रहा। परंतु इसके आधिकारिक उद्घाटन से पूर्व ही वे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हो गए थे। उनकी विदाई के अवसर पर 12 मई 2016 को फुल कोर्ट रेफरेंस आयोजित किया गया और 14 अप्रैल 2016 को नई इमारत में पहला फुल कोर्ट मीटिंग भी उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ।

अंत में, लेखक ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि —

“हमारा न्यायालय न्याय के स्रोत और दाता परमेश्वर की कृपा से दिन-दूना रात-चौगुना उन्नति करे और अशोक स्तंभ की तरह सुदृढ़ न्याय का प्रतीक बनकर खड़ा रहे।”

नैतिकता और कानूनी पेशा

द्वारा न्यायमूर्ति अशोक भूषण

21वीं सदी में एक पेशे के रूप में कानून, अपने बढ़ते वैश्वीकरण के साथ, अब एक पारंपरिक पेशा नहीं रह गया है। अब, राष्ट्रीय विधि विद्यालयों और पांच वर्षीय पूर्णकालिक कानून पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ, कानून शिक्षा का एक अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्र है। कानून में शिक्षा अब अंतिम उपाय का विकल्प नहीं है। यह अब व्यावसायिक शिक्षा का एक प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम है। न्यायपालिका की वर्तमान प्रणाली ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली पर आधारित है, जिसमें प्राचीन दिनों की तरह अदालतें, न्यायाधीश और वकील शामिल हैं। न्यायपालिका के इन तीन अंगों ने न्याय प्रशासन के लिए एक-दूसरे के सहयोग से काम किया है। स्वतंत्रता के बाद, हमारी संसद ने कई कानून पारित किए हैं और यह समाज की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए उनमें संशोधन करती रहती है। जाहिर है, न्यायपालिका के क्षेत्र में इन परिवर्तनों के कारण, समाज में वकील की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वह अपने मुवक्कलों की ओर से तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और न्यायाधीशों को सही, या यों कहें कि निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने में सहायता करता है। यह एक वकील का मुख्य कर्तव्य है। इसके अलावा, वह राष्ट्रीय और सामाजिक सेवा के अन्य क्षेत्रों में एक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और उसे निभानी है। हमारे पास महात्मा गांधी सहित कई प्रमुख वकील हैं जिन्होंने राष्ट्र और समाज की सेवा करने का अवसर पाया और न केवल योग्य पेशेवर के रूप में बल्कि सच्चे और वास्तविक सामाजिक और राष्ट्रीय नेताओं के रूप में भी उभरे।

एक वकील में जो प्रमुख गुण होने चाहिए वे हैं

ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और चरित्र। इन सबसे ऊपर एक वकील से ईमानदार, और सत्यनिष्ठा और चरित्र का व्यक्ति होने की उम्मीद की जाती है। एक वकील, जो स्पष्टवादी है और इन तीन रत्नों से युक्त है, उसकी अदालत और मुवक्कल दोनों ही सराहना करते हैं। ये तीन गुण एक वकील की सफलता में बहुत सहायक होते हैं। इन गुणों के अलावा, अन्य योग्यताएँ अपने आप आ जाएँगी। यही कारण है कि कानूनी पेशे को एक महान पेशा माना जाता है।

पेशेवर नैतिकता को एक अभ्यास करने वाले वकील के व्यवहार को स्वयं, अपने मुवक्कल, कानून में अपने विरोधी और न्यायालय के प्रति विनियमित करने के लिए एक लिखित या अलिखित आचार संहिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कानूनी पेशे की उंचाइयों को छूने का कोई शॉर्ट-कट नहीं है। केवल कानून की डिग्री प्राप्त करने से कोई अच्छा वकील नहीं बन सकता। जो लोग इस पेशे में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें समर्पण और निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। समाज में वकीलों की भूमिका को समझने के लिए, कानून द्वारा निभाई गई भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। 'कानून' शब्द स्वयं एक जटिल शब्द है, जिसके विभिन्न अर्थ और व्याख्याएं हो सकती हैं। वकीलों की समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक मुवक्कल का अपने वकील के साथ संबंध अत्यधिक विश्वास पर आधारित होता है।

एक वकील अपने मुवक्कल का केवल मुखपत्र नहीं होता है। वह उसका प्रतिनिधि है लेकिन एक डेलीगेट नहीं है। वह अपने मुवक्कल को अपनी शिक्षा, अपनी प्रतिभा और अपने विवेक का लाभ देता है, लेकिन यह कभी नहीं भूलता कि उसका खुद के प्रति और दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है। वह जानबूझकर कानून को गलत तरीके से नहीं बताएगा; वह जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगा, भले ही इससे उसके मुवक्कल के मामले को फायदा हो। उसे हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भले ही वह किसी व्यक्ति का वकील हो और अपनी बहुमूल्य सेवाओं के लिए नियुक्त और पारिश्रमिक प्राप्त करता हो, फिर भी सत्य और न्याय की ओर से उसका एक पूर्व और स्थायी **retainer** है, और कुछ भी उसे अपने प्राथमिक और सर्वोपरि **retainer** के इस दायित्व से नहीं डिगा सकता। सभी पेशेवर कार्यों में, उसे परिश्रमी होना चाहिए और उसका आचरण भी परिश्रमी होना चाहिए और कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

एक वकील का दायित्व है कि वह कानून के शासन को बनाए रखे और यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने में सक्षम हो। एक वकील द्वारा पेशेवर नैतिकता के सिद्धांतों का कोई भी उल्लंघन दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। एक छोटी सी भी उल्लंघन/कदाचार को नजरअंदाज करना सार्वजनिक न्याय प्रणाली की मौलिक नींव के खिलाफ है। एक वकील को न्यायालय, अपने साथी वकीलों और वादियों के साथ अपने व्यवहार में मर्यादित होना चाहिए। उसमें प्रचुर मात्रा में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए और उसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो उसकी विश्वसनीयता को कम करे। उसका यह कर्तव्य है कि वह पेशे में कनिष्ठों को प्रबुद्ध और प्रोत्साहित करे। एक आदर्श वकील को यह विश्वास करना चाहिए कि कानूनी पेशे में सेवा का एक तत्व है और वह कानूनी सेवा गतिविधियों से जुड़ा रहता है। वकील न्याय का एक अधिकारी और न्यायालय का मित्र होता है। इसलिए, एक ऐसा आवरण, जो न्याय के एक अधिकारी के रूप में उसके लिए अयोग्य है, यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसने इसे अपने मुवक्कल के एजेंट के रूप में किया था। न्याय के एक अधिकारी के रूप में उसकी स्थिति का मतलब यह नहीं है कि वह न्यायाधीश के अधीन है। इसका केवल यह अर्थ है कि वह न्याय प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक समाजों में, वकील निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका भरते हैं जो कोई अन्य पेशेवर नहीं भरता है: वकील कानून के शासन का संरक्षक है, यह आदर्श है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान रूप से खड़े हों और उससे न तो किसी विशेष व्यवहार की अपेक्षा करें और न ही प्राप्त करें।

लॉर्ड नोलन समिति ने ब्रिटेन में इस उद्देश्य के लिए 'सार्वजनिक जीवन में मानकों के सात सिद्धांत' गिनाए हैं, जो हैं निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व। महात्मा गांधी द्वारा पहचाने गए 'सात पाप' जिनसे बचना चाहिए वे हैं: बिना काम के धन, बिना विवेक के सुख, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना नैतिकता के वाणिज्य, बिना मानवता के विज्ञान, बिना त्याग के धर्म और बिना सिद्धांतों के राजनीति।

अब्राहम लिंकन ने युवा वकीलों को निम्नलिखित सलाह दी है:

“एक अस्पष्ट लोकप्रिय धारणा है कि वकील आवश्यक रूप से बेईमान होते हैं... किसी भी युवा को कानून को एक पेशे के रूप में चुनते समय एक पल के लिए भी इस लोकप्रिय धारणा के आगे नहीं झुकना चाहिए। हर हाल में ईमानदार रहने का संकल्प लें; और यदि आपके अपने निर्णय में आप एक ईमानदार वकील नहीं हो सकते हैं, तो एक वकील हुए बिना ईमानदार रहने का संकल्प लें। कोई अन्य व्यवसाय चुनें, बजाय इसके कि आप जिसे चुनने में, आप पहले से ही, एक दुष्ट होने के लिए सहमति देते हैं।” मैं मार्क टुइस की कविता 'फ्रॉम मी टू यू' की निम्नलिखित पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूँ:

अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहो
आप जो हैं उस पर गर्व करो
स्वयं के प्रति सच्चे रहो
सच्चे होने पर गर्व करो।
आपका जीवन महत्वपूर्ण है
चुनने के लिए आपके विकल्प
आपकी गलतियाँ सबक होंगी
अस्वीकार करने का आपका अधिकार।
अपनी नियति के स्वामी स्वयं बनो
जो काम आप करते हैं उसके स्वामी बनें
अपनी उपलब्धियों के स्वामी बनें
अपने विचारों के स्वामी बनें।
स्व एक भावना है
स्व का मतलब कम नहीं है
स्व एक मूल्यवान चीज है
स्व। कृपया कभी दमन न करें।

लेखक के बारे में: लेखक 1979 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए थे। उन्होंने सिविल, राजस्व, शिक्षा, सेवा और संवैधानिक पक्ष में एक आकर्षक प्रैक्टिस का आनंद लिया। वह कई नगर पालिकाओं और शैक्षणिक संस्थानों के स्थायी वकील थे। उन्हें 24 अप्रैल, 2001 को पीठ में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 10 जुलाई, 2014 को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और बाद में 26 मार्च, 2015 को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

द्वितीय तिमाही 2025 के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची (अप्रैल से जून तक)

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
1	CRIMINAL APPEAL	2045	2025	Allahabad	Kamal Bharbhujia Vs. State of U.P. and Another	20/06/2025
2	FIRST APPEAL FROM ORDER	2075	2024	Allahabad	Km. Sunita Vs. Smt. Manju And 9 Others	20/06/2025
3	CRIMINAL APPEAL	2275	2025	Allahabad	Anshu Kushwaha Vs. State of U.P. and Another	19/06/2025
4	CRIMINAL APPEAL	2284	2025	Allahabad	Danish Alias Bakra Alias Dilshad Vs. State of U.P. and Another	19/06/2025
5	APPLICATION U/s 482	491	2025	Lucknow	Deepak Singh @ Subham Singh Vs. State Of U.P. and Another	13/06/2025
6	PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL)	638	2025	Lucknow	Deenbandhu Samgra Swasthya Avam Siksha Shodh Sansthan Vs. Union Of India	13/06/2025
7	WRIT - A	19578	2024	Allahabad	Rajesh Kumar Vs. State of U.P. and others	13/06/2025
8	MATTERS UNDER ARTICLE 227	6055	2025	Allahabad	Jokhoo Ram Vs. Santosh And 11 Others	11/6/2025
9	WRIT - A	15771	2024	Allahabad	Dr. Trihuti Kumar Vs. State of U.P. and others	10/6/2025
10	WRIT - A	6603	2025	Lucknow	Union Of India Vs. Govind Narain Mishra	10/6/2025
11	WRIT - C	38609	2019	Allahabad	M/S Sajid Vs. State Of U.P. And 02 Others	10/6/2025
12	MATTERS UNDER ARTICLE 227	14008	2024	Allahabad	Tara Chandra Gupta Vs. Dr Shakti Basu And 18 Others	9/6/2025
13	WRIT - A	19042	2024	Allahabad	Ranjeet Kumar Vs. The Registrar Corporative Societies and others	9/6/2025
14	WRIT - A	35844	2019	Lucknow	Anand Singh Aswal Vs. U.O.I. Thru. Ministry Of Human Resource And Dev.	6/6/2025
15	WRIT - A	18453	2024	Allahabad	Rakesh Kumar Tyagi Vs. State of U.P. and others	6/6/2025
16	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	457	2025	Allahabad	Smt Jyoti Gautam Vs. State Of U.P. And 4 Others	4/6/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
17	APPLICATION U/S 528 BNSS	526	2025	Lucknow	Vinay And Another Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Another	3/6/2025
18	MATTERS UNDER ARTICLE 227	4107	2024	Allahabad	Shiv Narayan Gupta Vs. Garib Chandra	30/05/2025
19	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1199	2025	Allahabad	Virendra Kumar Tripathi Vs. Amit Dua And Another	30/05/2025
20	APPLICATION U/s 482	41453	2024	Allahabad	Saumya Sajiv Kumar Sharma And Another Vs. State Of U.P. And Another	30/05/2025
21	APPLICATION U/s 482	4655	2025	Lucknow	Rohit Rajput Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Another	30/05/2025
22	APPLICATION U/s 483	49	2025	Lucknow	Abdul Raqib @ Pehtul Vs. State Of U.P. Thru. The Prin. Secy. Deptt. Of Home	30/05/2025
23	ANTICIPATORY BAIL APPLICATION	447	2025	Lucknow	Sudhir @ Sudhir Kumar Chaurasia Vs. State Of U.P. Thru. The Prin. Secy.	30/05/2025
24	CAPITAL CASES	1	2024	Allahabad	Shahid Vs. State Of Up Others	30/05/2025
25	CRIMINAL APPEAL	328	1986	Allahabad	Sarvanarain Tewari And Another Vs. State Of U.P.	30/05/2025
26	CRIMINAL APPEAL	370	1991	Allahabad	Taley Hasan And Another Vs. State Of U.P.	30/05/2025
27	CRIMINAL APPEAL	1557	2020	Allahabad	Naushad Vs. State Of U.P.	30/05/2025
28	CRIMINAL APPEAL	74	2020	Allahabad	Vinod Patel Vs. State Of U.P.	30/05/2025
29	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	12507	2024	Allahabad	Anwar Dhebar Vs. State Of Up And 2 Others	30/05/2025
30	ELECTION PETITION	11	2022	Allahabad	Prem Pal Singh Vs. Prem Pal Singh Dhangar And 12 Others	30/05/2025
31	FIRST APPEAL DEFECTIVE	530	2025	Allahabad	Savita Devi @ Pinki Gautam @ Shivangi Shishodiya Vs. Jitendra Gautam	30/05/2025
32	APPLICATION U/S 528 BNSS	36693	2024	Allahabad	Sitam @ Prince Minor Vs. State Of U.P. And 3 Others	30/05/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
33	WRIT - A	14182	2024	Allahabad	Vivek Yadav Vs. State Of Up And 4 Others	30/05/2025
34	WRIT - A	5698	2025	Lucknow	Dr. Amod Kumar Sachan Vs. State Of U.P. And 5 Others	30/05/2025
35	WRIT - B	371	2025	Allahabad	Alakh Prasad @ Alakh Dev And 2 Others Vs. State Of U.P. And 8 Others	30/05/2025
36	WRIT - C	1000337	2015	Lucknow	Mohd. Mustkeem Vs. State Of U.P. Thru Secy. Food U.P. Govt. Civil Sectt.	30/05/2025
37	WRIT TAX	71	2025	Lucknow	M/S Rawder Petroleum Pvt Ltd. Vs. Union Of India Ministry Of Finance	30/05/2025
38	APPLICATION U/s 482	16	2016	Lucknow	Balaram Chari Dubey Vs. State Of U.P. Thru. Secy. Home Civil Sectt. Lucknow	29/05/2025
39	APPLICATION U/s 482	4623	2025	Lucknow	Rahul Gandhi Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Distt. Lko.	29/05/2025
40	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	10409	2025	Allahabad	Shakeel Ahmad Vs. State Of U.P.	29/05/2025
41	CRIMINAL APPEAL	495	1996	Lucknow	Sarvesh Kumar Dubey And Others Vs. State Of U.P.	29/05/2025
42	CRIMINAL APPEAL	652	2001	Lucknow	Shera Vs. State Of U.P.	29/05/2025
43	CRIMINAL APPEAL	1598	2007	Lucknow	Rajesh @ Sajesh Tewari Vs. State Of U.P.	29/05/2025
44	CRIMINAL APPEAL	6099	2019	Allahabad	Jumma Shah And 2 Ors. Vs. State Of U.P.	29/05/2025
45	APPLICATION U/S 528 BNSS	41554	2024	Allahabad	Virendra Singh And 2 Others Vs. State Of U.P. And Another	29/05/2025
46	WRIT - A	6131	2025	Allahabad	Shailendra Kumar Rai Vs. State Of Uttar Pradesh And 3 Others	29/05/2025
47	WRIT - C	4987	2025	Lucknow	Shitla Prasad Vs. Amrit Lal And 15 Others	29/05/2025
48	WRIT TAX	1603	2024	Allahabad	M/S Patanjali Ayurved Ltd Vs. Union Of India And 3 Others	29/05/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
49	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	13376	2025	Allahabad	Jahid Baig Alias Jahid Jamal Beg Vs. State Of U.P.	28/05/2025
50	CRIMINAL APPEAL	1507	1983	Allahabad	Shambu And Another Vs. State	28/05/2025
51	CRIMINAL APPEAL	1585	1983	Allahabad	Kaloo Vs. State Of U.P.	28/05/2025
52	CRIMINAL APPEAL	1326	2004	Lucknow	Shiv Narain And 2 Ors. Vs. The State Of U.P.	28/05/2025
53	ANTICIPATORY BAIL APPLICATION	487	2025	Lucknow	Nafees Ahmad Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko.	28/05/2025
54	SPECIAL APPEAL	167	2024	Allahabad	Devendra Singh Vs. State Of Up And 4 Others	28/05/2025
55	WRIT - A	10825	2024	Allahabad	Raj Kumar Yadav Vs. State Of Up And Another	28/05/2025
56	WRIT - A	17198	2024	Allahabad	Ram Singh Vs. State Of U.P. And 5 Others	28/05/2025
57	MATTERS UNDER ARTICLE 227	612	2024	Lucknow	Onkar Nath Gaur And Another Vs. District Magistrate/President Tribunal	27/05/2025
58	APPLICATION U/s 482	12048	2023	Lucknow	Sri Sushant Gupta And 5 Others Vs. Central Bureau Of Investigation	27/05/2025
59	FIRST APPEAL	1116	2024	Allahabad	Krishna Kumar Gupta Vs. Priti Gupta	27/05/2025
60	APPLICATION U/S 528 BNSS	30822	2024	Allahabad	Siddharth Jain Vs. State of U.P. and Another	27/05/2025
61	APPLICATION U/S 528 BNSS	30850	2024	Allahabad	Mohnish Jain And Another Vs. State Of U.P. And Another	27/05/2025
62	WRIT - A	11589	2023	Allahabad	Prithvi Raj Singh Vs. The Chief General Manager And 4 Others	27/05/2025
63	WRIT - C	10898	2024	Lucknow	Saurabh Mishra Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Medical Health	27/05/2025
64	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	17325	2025	Allahabad	Pradeep Soni Vs. State Of U.P.	26/05/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
65	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	750	2025	Allahabad	Vijay Kumar @ Krishna Vs. State Of U.P. And 3 Others	26/05/2025
66	CRIMINAL APPEAL	2240	2008	Lucknow	Annu Vs. State Of U.P.	26/05/2025
67	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	4503	2025	Lucknow	Brahma Prakash Singh Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko.	26/05/2025
68	FIRST APPEAL FROM ORDER	664	2017	Lucknow	Oriental Insurance Company Ltd. Vs. Dayawati Gupta And 6 Ors.	26/05/2025
69	WRIT TAX	501	2023	Allahabad	Trendships Online Services Pvt Ltd Vs. Commissioner Commercial Taxes	26/05/2025
70	CRIMINAL APPEAL	16	1986	Allahabad	Siaram And Others Vs. State Of U.P.	23/05/2025
71	CRIMINAL APPEAL	538	2021	Allahabad	Ramdev Vs. State Of U.P.	23/05/2025
72	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	16327	2024	Allahabad	Kamalveer Singh Vs. State Of Up And 5 Others	23/05/2025
73	CRIMINAL REVISION	6353	2024	Allahabad	Juvenile X Vs. State of U.P. and Another	23/05/2025
74	WRIT - A	3653	2001	Lucknow	Rajendra Prasad Tripathi Vs. Hindustan Aeronautics Limited	23/05/2025
75	WRIT - A	7118	2022	Allahabad	Neha Sharma And 53 Others Vs. State Of U.P. And 4 Others	23/05/2025
76	WRIT - A	17495	2024	Allahabad	Vinod Kumar Mishra Vs. State Of Up And 3 Others	23/05/2025
77	WRIT - A	6157	2024	Lucknow	Shashank Sachan Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Basic Education Lko.	23/05/2025
78	WRIT - C	1000570	2001	Lucknow	Laximan Vs. Up Zila Adhikari/ Sub-Divisional Officer Misrikh Sitapur	23/05/2025
79	WRIT - C	12360	2025	Allahabad	Antram Goyal Vs. Power Grid Neemrana Bareilly Transmission Ltd.	23/05/2025
80	WRIT - C	14892	2025	Allahabad	Kamlesh Singh Vs. The State Of U.P. And 5 Others	23/05/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
81	WRIT - C	3795	2025	Lucknow	Alpha Diagnostic Centre Vs. State Appropriate Authority PCPNDT Act	23/05/2025
82	APPLICATION U/s 482	26745	2024	Allahabad	Disha And Another Vs. State Of U.P. And Another	22/05/2025
83	COMPANY PETITION	6	2012	Lucknow	Zaitek Polyblends Pvt. Ltd. Vs. Sri Durga Bansal Fertilizer Ltd.	22/05/2025
84	CRIMINAL APPEAL	1820	2015	Allahabad	Pankaj Vs. State Of U.P.	22/05/2025
85	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	21016	2024	Allahabad	Mohammed Zubair Vs. State Of Uttar Pradesh And 3 Others	22/05/2025
86	FIRST APPEAL	49	2025	Lucknow	Meenu Rajvanshi Vs. Brijesh	22/05/2025
87	SPECIAL APPEAL	69	2025	Allahabad	State Of Up And Another Vs. Dinesh Kumar	22/05/2025
88	WRIT - B	453	2025	Lucknow	Sambhu Prasad Pandey Vs. Deputy Director Of Consolidation, Ayodhya	22/05/2025
89	COMMERCIAL APPEAL	8	2025	Allahabad	M/S Sah Agencies Pvt Ltd Vs. Cinni Foundation Trust	21/05/2025
90	CRIMINAL APPEAL	1806	1991	Allahabad	Challa @ Bhagwan Das Vs. State Of U.P.	21/05/2025
91	CRIMINAL APPEAL	1546	2025	Lucknow	Raje Bhasin Vs. Commissioner Of Police, Police Commissioner-ate Lucknow	21/05/2025
92	APPLICATION U/S 528 BNSS	2582	2025	Allahabad	Raghvendra Singh Vs. State Of U.P. And Another	20/05/2025
93	WRIT - A	11837	2020	Allahabad	Prashant Rai Vs. State Of U.P. And 4 Others	20/05/2025
94	WRIT - A	5819	2025	Allahabad	Harishankar Vs. District Judge, Kaushambi And Another	20/05/2025
95	WRIT - A	6705	2025	Allahabad	Santosh Kumar Pal Vs. Union Of India And 5 Others	20/05/2025
96	CIVIL REVISION	4	2025	Allahabad	Committee Of Management, Jami Masjid Sambhal Vs. Hari Shankar Jain	19/05/2025
97	CRIMINAL APPEAL	2135	1983	Allahabad	Rajjan Vs. State Of U.P.	19/05/2025
98	WRIT - A	18956	2022	Allahabad	Lavkush Tiwari And 1486 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	19/05/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
99	WRIT - A	4265	2024	Lucknow	Narendra Singh Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Nagar Vikas Lko.	19/05/2025
100	WRIT - A	6945	2024	Lucknow	Narendra Singh Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Nagar Vikas Anubhag Lko.	19/05/2025
101	WRIT - C	1000151	2001	Lucknow	Mohammad Rafiq And Others Vs. Addl. Commissioner Admn. Gonda And Others	19/05/2025
102	WRIT - C	2373	2024	Allahabad	Ms Marion Biotech Private Limited Vs. State Of Up And 5 Others	19/05/2025
103	CRIMINAL REVISION	3355	2018	Allahabad	Chandradhar Gaur Vs. State Of U.P.	17/05/2025
104	WRIT - A	25278	2014	Allahabad	Azahar Ali Vs. State Of U.P. And 2 Others	17/05/2025
105	WRIT - A	19427	2023	Allahabad	Prof. (Dr.) Mujahid Beg Vs. Union Of India And 4 Others	17/05/2025
106	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	12043	2024	Lucknow	Arjun @ Golu Vs. State Of U.P. And 3 Others	16/05/2025
107	CRIMINAL APPEAL	1846	1983	Allahabad	Attar Singh And Others Vs. State Of U.P.	16/05/2025
108	WRIT - A	17029	2013	Allahabad	Smt. Maya Vs. Zila Basic Shiksha Adhikari Baghpat And Ors.	16/05/2025
109	WRIT - C	1002411	1999	Lucknow	Mohd. Arif Khan And Others Vs. State Of U.P. And Others	16/05/2025
110	WRIT - C	661	2021	Lucknow	Faraz Husain Vs. State Of U.P. And Ors.	16/05/2025
111	WRIT - C	684	2021	Lucknow	Asma Husain Vs. State Of U.P. And Ors.	16/05/2025
112	WRIT - C	687	2021	Lucknow	Nadeem-Ur-Rehman And Anr. Vs. State Of U.P. And Ors.	16/05/2025
113	WRIT - C	7005	2023	Lucknow	Abbas Ansari Vs. State Of U.P. And 5 Others	16/05/2025
114	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	9733	2025	Allahabad	Shashank Mishra Vs. State Of Up And 3 Others	15/05/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
115	WRIT - A	6273	2025	Allahabad	Prince Yadav Vs. State Of U.P. And 3 Others	15/05/2025
116	WRIT - C	31912	2018	Allahabad	C/M Janhit Madhyamik Vidy-alaya Vs. State Of U.P. And 4 Others	15/05/2025
117	MATTERS UNDER ARTICLE 227	9547	2019	Lucknow	U.P. Power Corporation Ltd. Vs. Sunita Verma And Ors.	14/05/2025
118	APPLICATION U/s 482	3979	2025	Lucknow	Neeharika Singh Vs. Directorate Of Enforcement Lko.	14/05/2025
119	CIVIL REVISION	80	2011	Lucknow	Jugeshwar Prasad Vs. Hanuman Prasad	14/05/2025
120	CRIMINAL APPEAL	2625	1982	Allahabad	Tunku Singh And Another Vs. State	14/05/2025
121	CRIMINAL APPEAL	7898	2017	Allahabad	Shailendra Kushwaha Vs. State Of U.P.	14/05/2025
122	CRIMINAL APPEAL	243	2018	Allahabad	Manvendra Singh @ Jhamman Pal Vs. State Of U.P.	14/05/2025
123	CRIMINAL APPEAL	11357	2024	Allahabad	Sukh Lal Vs. State Of U.P.	14/05/2025
124	APPLICATION U/S 529 BNSS	285	2025	Allahabad	Sudha Shukla Vs. State Of U.P. And 2 Others	14/05/2025
125	WRIT - A	2717	2004	Lucknow	Jawahar Lal Gupta Vs. State Of U.P. Through Secy Food And Civil Supplies	14/05/2025
126	WRIT - A	49169	2010	Allahabad	Smt. Krishna Kant Gupta Vs. State Of U.P. And Others	14/05/2025
127	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	24930	2024	Allahabad	Kamlesh Yadav Vs. State Of Up	13/05/2025
128	FIRST APPEAL	612	2003	Allahabad	Sandeep Bhatnagar Vs. State Of U.P. And Others	13/05/2025
129	WRIT - A	65267	2015	Allahabad	Ratan Singh Vs. State Of U.P. And 4 Others	13/05/2025
130	WRIT - A	7486	2020	Allahabad	Ashok Kumar Vs. State Of U.P. And 3 Others	13/05/2025
131	WRIT - A	790	2020	Allahabad	Rajan Vs. State Of U.P. And 2 Others	13/05/2025
132	WRIT - A	1563	2022	Allahabad	Sunil Kumar Singh Vs. Union Of India And 5 Others	13/05/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
133	WRIT - A	10380	2024	Allahabad	Abdul Wahab Vs. State Of Up And 6 Others	13/05/2025
134	WRIT - A	6048	2024	Allahabad	Smt Kusum Lata Singh Vs. State Of U.P. And 4 Others	13/05/2025
135	MATTERS UNDER ARTICLE 227	2495	2016	Allahabad	Waqf Madarsa Qasimul Uloom Vs. State Of U.P. And 2 Others	12/5/2025
136	APPLICATION U/s 482	39316	2023	Allahabad	Dr. Neeraj Kumar Vs. State Of U.P. And Another	12/5/2025
137	APPLICATION U/s 482	12482	2024	Allahabad	Subhash Chandra And 6 Others Vs. State Of U.P. And Another	12/5/2025
138	APPLICATION U/s 482	20422	2024	Allahabad	Vinay Kumar Gupta Vs. State Of U.P. And Another	12/5/2025
139	APPLICATION U/s 482	22859	2024	Allahabad	Birender Singh Vs. State Of U.P. And Another	12/5/2025
140	APPLICATION U/s 482	26740	2024	Allahabad	Imran Khan And Another Vs. State of UP & Anr.	12/5/2025
141	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	4923	2025	Allahabad	Khargesh Alias Golu Vs. State Of U.P. And 3 Others	12/5/2025
142	CRIMINAL REVISION	4171	2024	Allahabad	Nirmal Kumar Fukan Vs. State Of Up And 3 Others	12/5/2025
143	WRIT - A	2000885	2005	Lucknow	Naipal Singh Vs. U.P.Housing And Development Board	12/5/2025
144	WRIT - A	20474	2018	Allahabad	Chandra Kant Vs. Union Of India And 8 Others	12/5/2025
145	WRIT - C	12032	2024	Allahabad	Rani Pandey And Another Vs. State Of Up And 3 Others	12/5/2025
146	WRIT - C	22491	2024	Allahabad	Shanidev And Another Vs. State Of Up And 7 Others	12/5/2025
147	WRIT - C	2378	2025	Allahabad	Akshay Bansal Vs. State Of U.P. And 4 Others	12/5/2025
148	WRIT - C	5205	2025	Allahabad	M/S Ganpati Classic Vs. Union Of India And 3 Others	12/5/2025
149	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	40954	2023	Allahabad	Rajnikant Shukla Vs. State Of U.P.	9/5/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
150	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	12896	2024	Allahabad	Neyaz Ahmad Vs. State of U.P.	9/5/2025
151	CRIMINAL APPEAL	12	2003	Allahabad	Sanjay Singh Vs. State Of U.P.	9/5/2025
152	CRIMINAL APPEAL	5215	2003	Allahabad	Asif Ali Vs. State Of U.P.	9/5/2025
153	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	2588	2023	Lucknow	Kodai Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home, Lko. And Another	9/5/2025
154	CRIMINAL REVISION	478	2025	Lucknow	Praveen Pratap Singh And Another Vs. CBI ACU-I New Delhi	9/5/2025
155	APPLICATION U/S 528 BNSS	14125	2025	Allahabad	Rajkumar Vs. State Of U.P. And Another	9/5/2025
156	WRIT - A	5151	2023	Allahabad	Dr. Sanjay Mittal Vs. Union Of India And 3 Others	9/5/2025
157	WRIT - A	3505	2024	Lucknow	Ram Pal Singh Vs. State Of U.P. Thru. Secy. Deptt. Of Energy Lko.	9/5/2025
158	WRIT - C	4465	2025	Lucknow	Rajjan Vs. State Information Commission U.P. Lko.	9/5/2025
159	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	3971	2025	Lucknow	Vipin Tiwari Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko.	8/5/2025
160	CIVIL MISC REVIEW APPLICATION	27	2025	Allahabad	Uma Shanker Sharma And Another Vs. Mihilal Sharma And 3 Others	8/5/2025
161	FIRST APPEAL FROM ORDER	37	2022	Lucknow	National Insurance Co. Ltd. Vs. Reetu Devi And 6 Others	8/5/2025
162	SPECIAL APPEAL	259	2024	Allahabad	Shivam Pandey And 5 Others Vs. State Of U.P.	8/5/2025
163	APPLICATION U/s 482	16456	2024	Allahabad	Niraj @ Banti Shahi And 3 Others Vs. State Of U.P. And Another	7/5/2025
164	APPLICATION U/s 482	19916	2024	Allahabad	Durga Yadav Vs. State Of U.P. And Another	7/5/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
165	" APPEAL UNDER SECTION 37 OF ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996 DEFECTIVE No"	9	2025	Lucknow	Project Director, UPHSDP Vs. Commercial Court No. 1 Lucknow	7/5/2025
166	ANTICIPATORY BAIL APPLICATION	1699	2025	Allahabad	Vijay Kumar Dubey Vs. State Of U.P. And Another	7/5/2025
167	SPECIAL APPEAL	727	2024	Allahabad	Mayashankar Vs. State Of U.P. And 5 Others	7/5/2025
168	WRIT - A	362	2005	Lucknow	Ram Krishna Misra Vs. State Of U.P.Through Secy Local Bodies	7/5/2025
169	WRIT - A	1000115	2014	Lucknow	Puran Singh Vs. District Judge Lucknow And Ors.	7/5/2025
170	WRIT - A	3640	2025	Allahabad	Harishchandra Pandey And 3 Others Vs. State Of U.P. And 6 Others	7/5/2025
171	WRIT - A	5494	2025	Allahabad	Sanghpriya Gautam Vs. State Of Up And 4 Others	7/5/2025
172	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	8881	2025	Allahabad	Jitendra Paswan Vs. State Of Up And 3 Others	6/5/2025
173	APPLICATION U/S 528 BNSS	11862	2025	Allahabad	Imran Khan @ Ashok Ratna Vs. State of U.P. and Another	6/5/2025
174	ANTICIPATORY BAIL APPLICATION	3263	2025	Allahabad	Sikandar Alam Vs. State Of U.P. And Another	6/5/2025
175	SPECIAL APPEAL	607	2024	Allahabad	State Of Up And 2 Others Vs. Chandra Mohan Yadav	6/5/2025
176	WRIT - A	46867	2014	Allahabad	Suresh Chandra Shukla Vs. State Of U.P. And 2 Ors	6/5/2025
177	WRIT - A	15292	2018	Allahabad	Anoop Kumar Mishra Vs. State Of U.P. And 5 Others	6/5/2025
178	WRIT - C	11196	2025	Allahabad	Smt. Bandana Vs. State Of U.P. And 3 Others	6/5/2025
179	WRIT - C	13012	2025	Allahabad	Anil Kumar Jaiswal Vs. Union Bank Of India And Another	6/5/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
180	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	13228	2024	Lucknow	Jai Ram Vs. State Of U.P. Thru. Secy. Home Lko And 3 Others	5/5/2025
181	SPECIAL APPEAL	117	2025	Allahabad	Dr Manoj Kumar Rawat Vs. State Of Up And 5 Others	5/5/2025
182	WRIT - A	4492	2023	Allahabad	Prof. Anandh Subramaniam Vs. Union Of India And 6 Others	5/5/2025
183	MATTERS UNDER ARTICLE 227	11867	2024	Allahabad	Sukhdev Singh Majithiya And 3 Others Vs. Bhavnesh Kumar Jindal	2/5/2025
184	MATTERS UNDER ARTICLE 227	4101	2025	Allahabad	Kamta Prasad Vs. Union Of India And 2 Others	2/5/2025
185	CRIMINAL APPEAL	2781	1982	Allahabad	Lakhan And Others Vs. State	2/5/2025
186	CRIMINAL APPEAL	1231	2023	Allahabad	Heera Kol Vs. State Of U.P. And 3 Others	2/5/2025
187	APPLICATION U/S 528 BNSS	5944	2025	Allahabad	Smt. Raveena Meena Vs. State Of U.P. And 2 Others	2/5/2025
188	ANTICIPATORY BAIL APPLICATION	398	2025	Lucknow	Prashant Shukla Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko.	2/5/2025
189	SECOND APPEAL	167	2023	Lucknow	Ambika Prasad Vs. Shyam Bi-hari And 4 Others	2/5/2025
190	SPECIAL APPEAL	161	2025	Lucknow	Rajvir Singh Vs. U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.	2/5/2025
191	SPECIAL APPEAL	228	2025	Allahabad	Prof Harish Chandra Chaudhary Vs. The Union Of India And 3 Others	2/5/2025
192	WRIT - C	13636	2025	Allahabad	Surajpur Indane Gas Sewa Vs. Indian Oil Corporation Limited	2/5/2025
193	APPLICATION U/s 482	5057	2024	Lucknow	Vishnu Prabhakar Vs. Union Of India Thru. Directorate Of Enforcement Lko.	1/5/2025
194	APPLICATION U/s 482	3726	2025	Lucknow	Aditya Murti Vs. Central Bureau Of Investigation/Anti Corruption Bureau	1/5/2025
195	CRIMINAL APPEAL	482	2004	Lucknow	Rajesh And Another Vs. The State Of U.P.	1/5/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
196	CRIMINAL APPEAL	10492	2024	Allahabad	Rajendra And Another Vs. State Of U.P.	1/5/2025
197	FIRST APPEAL FROM ORDER	895	2016	Lucknow	National Insurance Co. Ltd. Vs. Shiva Vishwakarma	1/5/2025
198	WRIT - A	27328	2018	Allahabad	Banna Lal Vs. State Of U.P. And 3 Others	1/5/2025
199	WRIT - A	8057	2020	Allahabad	Larens Sankhwar Vs. State Of U.P. And 4 Others	1/5/2025
200	WRIT - C	1775	2025	Lucknow	Mohd. Talha Vs. UOI Thru. Its Secy. Ministry Of External Affairs	1/5/2025
201	WRIT TAX	1828	2025	Allahabad	M/S Saini Zarda Store Vs. State Of U.P. And 2 Others	1/5/2025
202	MATTERS UNDER ARTICLE 227	2997	2022	Lucknow	Smt. Kusum Vs. Anand Kumar And 3 Others	30/04/2025
203	SPECIAL APPEAL	652	2024	Allahabad	Secretary, UP Basic Education Board Vs. Tripurari Dubey And 3 Others	30/04/2025
204	WRIT - A	2603	2025	Lucknow	C/M Ram Bharose Maikulal Inter College Vs. State Of U.P. And Others	30/04/2025
205	WRIT - A	5652	2025	Allahabad	Ajit Singh And 11 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	30/04/2025
206	APPLICATION U/s 482	3922	2025	Allahabad	Amit Kumar Dubey And Another Vs. State Of U.P. And Another	29/04/2025
207	CRIMINAL APPEAL	1216	1984	Allahabad	Prem And Another Vs. State Of U.P.	29/04/2025
208	WRIT - A	18246	2019	Allahabad	Padam Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	29/04/2025
209	WRIT - A	13945	2020	Allahabad	Maustin Massey Vs. State Of U.P. And 3 Others	29/04/2025
210	WRIT - A	1558	2025	Lucknow	Avesh Vs. U.P. Avas Evam Vikas Parishad Lko. And 2 Others	29/04/2025
211	WRIT - A	4139	2025	Allahabad	Kumari Soni Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	29/04/2025
212	WRIT - C	1953	2021	Lucknow	Career Convent Edu. Trust Vs. State Of U.P. And Others	29/04/2025
213	WRIT - C	21818	2023	Allahabad	Santosh Kumar Vs. Insurance Ombudsman And 2 Others	29/04/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
214	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1281	2024	Lucknow	Hari Shankar Kushwaha Vs. Addl. District Judge E.C. Act Court No. 4	28/04/2025
215	COMMERCIAL APPEAL	5	2025	Allahabad	Omnanarayansri Agrifarmer Pvt. Ltd. Vs. Punjab National Bank And 2 Others	28/04/2025
216	CRIMINAL APPEAL	345	1984	Allahabad	Dheer Singh And Others Vs. State Of U.P.	28/04/2025
217	WRIT - C	1920	2018	Allahabad	M/S Sds Infracon Pvt. Ltd. Vs. State Of U.P. And 5 Others	28/04/2025
218	WRIT - C	41272	2024	Allahabad	Moradabad Bareilly Expressway Ltd Vs. State Of U.P. And 4 Others	28/04/2025
219	WRIT TAX	1386	2023	Allahabad	M/S Maa Kamakhya Trader Vs. Additional Commissioner Grade 2 And Another	28/04/2025
220	WRIT - A	21727	2023	Allahabad	Binay Kumar Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	25/04/2025
221	WRIT - A	5375	2025	Allahabad	Anshul Pal Vs. Canara Bank And 4 Others	25/04/2025
222	WRIT - C	3912	2025	Lucknow	Atul Gopal Gaur Vs. Addl. Central Provident Fund Commissioner, Kanpur	25/04/2025
223	CONTEMPT APPLICATION (CIVIL)	3413	2023	Lucknow	Ambrish Dwivedi And Others Vs. Anand Kumar Singh, MD, PCDF Ltd.	24/04/2025
224	WRIT - A	13137	2023	Allahabad	Sharda Prasad Singh Vs. Union of India and others	24/04/2025
225	WRIT - B	13075	2012	Allahabad	Rajkumar Dubey Vs. Board Of Revenue And Others	24/04/2025
226	WRIT - C	1001008	1996	Lucknow	Gopal Das Jain Vs. Board Of Revenue	24/04/2025
227	WRIT - C	41221	2024	Allahabad	Jayraj Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	24/04/2025
228	CRIMINAL APPEAL	475	1984	Allahabad	Ferasat Vs. State of U.P.	23/04/2025
229	CRIMINAL REVISION	1089	2024	Lucknow	Dr. Gomati Dwivedy Vs. C.B.I. /A.C.B. Branch, Lucknow	23/04/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
230	GOVERNMENT APPEAL	43	2025	Allahabad	State Of U.P. Vs. Pushpendra Alias Gabbar	23/04/2025
231	WRIT - A	48918	2014	Allahabad	Raghuraj Singh Vs. Union of India and others	23/04/2025
232	WRIT - A	4999	2025	Allahabad	Sangam Dwivedi And 5 Others Vs. State of U.P. and Another	23/04/2025
233	WRIT - C	3683	2024	Lucknow	Mayoor Ahuja Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko.	23/04/2025
234	WRIT - C	3684	2024	Lucknow	Mayoor Ahuja Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. (Excise) Lko.	23/04/2025
235	WRIT - A	12020	2022	Allahabad	Ramesh Kumar Yadav Vs. High Court Of Judicature At Allahabad	22/04/2025
236	WRIT - A	4208	2025	Lucknow	Jayant Kumar Singh Vs. State Of U.P. Deptt. Of Medical And Health Lko.	22/04/2025
237	WRIT - C	12023	2025	Allahabad	Muhammad Sahil Vs. State Of U.P. And 5 Others	22/04/2025
238	APPLICATION U/s 482	8370	2024	Lucknow	Danish Khan Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko And Another	21/04/2025
239	FIRST APPEAL DEFECTIVE	207	2025	Allahabad	Smt. Minakshi Gupta Vs. Kailash Chandra	21/04/2025
240	APPLICATION U/S 528 BNSS	44720	2024	Allahabad	Nisha Kushwaha Vs. State Of U.P. And Another	21/04/2025
241	SECOND APPEAL	361	2018	Lucknow	Ram Baran Vs. Sheetla Prasad Yadav And Another	21/04/2025
242	SPECIAL APPEAL	846	2024	Allahabad	State Of Up And 3 Others Vs. Mahaveer Singh And 5 Others	21/04/2025
243	WRIT - A	1540	2005	Lucknow	Ashok Kumar Seth Vs. U.P. Cooperative Federation Ltd And 3 Ors	21/04/2025
244	WRIT - A	15480	2015	Allahabad	Mohd. Fahim Jamal Vs. State Of U.P. And 5 Ors.	21/04/2025
245	WRIT - A	36216	2017	Allahabad	Jagdeesh Singh Bhadauria Vs. State Of U.P. And 3 Others	21/04/2025
246	WRIT - A	17079	2022	Allahabad	Roopali Rai Vs. Union Of India And 4 Others	21/04/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
247	WRIT TAX	2329	2024	Allahabad	M/S Mak Trading Company Vs. State Of U.P. And 3 Others	21/04/2025
248	WRIT TAX	1716	2025	Allahabad	M/S Arena Superstructures Pvt Ltd Vs. Union Of India And 4 Others	21/04/2025
249	WRIT TAX	303	2025	Lucknow	M/S Manoj Glass Vs. State Of U.P. And Another	21/04/2025
250	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	28135	2018	Lucknow	Mohd. Kasim Usmani And Ors. Vs. State Of U.P. And Ors.	18/04/2025
251	FIRST APPEAL FROM ORDER	198	2024	Lucknow	National Insurance Co. Ltd. Vs. Manorama And Others	18/04/2025
252	WRIT - A	18309	2006	Allahabad	Dr. Indra Pratap Singh Vs. B.H.U. Varanasi And Others	18/04/2025
253	WRIT - A	31157	2017	Allahabad	Arpit Gupta And 12 Others Vs. LIC Of India	18/04/2025
254	WRIT - A	11784	2021	Allahabad	Rahul Vs. State Of U.P. And 6 Others	18/04/2025
255	WRIT - C	34248	2024	Allahabad	M/S Rajan Construction Company Vs. State Of Up And 2 Others	18/04/2025
256	FIRST APPEAL FROM ORDER	151	2013	Lucknow	Smt. Sarba Maurya And Ors. Vs. Oriental Insurance Co. Ltd.	17/04/2025
257	WRIT - A	51221	2008	Allahabad	Anil Kumar Srivastava Vs. Union Of India And Others	17/04/2025
258	WRIT - A	4420	2024	Lucknow	Mohan Sharma Vs. Court Of Addl. Distt. Judge Bahraich	17/04/2025
259	WRIT - B	338	2025	Lucknow	Rama Kant Vs. Deputy Director Of Consolidation, Lko.	17/04/2025
260	WRIT - C	386	2025	Lucknow	M/S Classic Enterprises Vs. N.H.A.I. And 3 Others	
261	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	15379	2019	Lucknow	Abhimanyu Prasad Ojha And Ors. Vs. State Of U.P. Thru. D.M. Gonda And Ors.	16/04/2025
262	WRIT - A	10500	2024	Lucknow	Dr. Yogendra Bhadauriya Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Geology	16/04/2025
263	WRIT - A	15450	2024	Allahabad	Shailendra Kumar Vs. The State Of U.P. And 5 Others	16/04/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
264	WRIT - A	3861	2025	Lucknow	Santosh Ji Mishra Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Madhyamik Edu.	16/04/2025
265	WRIT - C	31506	2023	Allahabad	Dr. Saba Sarif Vs. State Of U.P. And 4 Others	16/04/2025
266	WRIT - C	31742	2024	Allahabad	Smt. Kehkashan Vs. State Of Up And 8 Others	16/04/2025
267	WRIT - A	12051	2019	Allahabad	Dharmendra Kumar And Another Vs. State Of U.P. And 3 Others	15/04/2025
268	WRIT - A	16760	2023	Allahabad	Naved Akhtar Vs. State Of U.P And 3 Others	15/04/2025
269	WRIT - C	10962	2025	Allahabad	Smt. Asha Rani Vs. Union Of India And 2 Others	15/04/2025
270	WRIT - C	263	2025	Allahabad	M/S K.C. International Vs. Indian Bank Kanpur Main Branch	15/04/2025
271	WRIT - C	6327	2025	Allahabad	Anuj Tyagi Vs. District Election Officer Ghaziabad And 6 Others	15/04/2025
272	CRIMINAL APPEAL	4854	2016	Allahabad	Rakesh Singh And Another Vs. State Of U.P.	11/4/2025
273	WRIT - A	1717	2000	Lucknow	Hanumant Lal Vs. State Of U.P. And 4 Ors.	11/4/2025
274	WRIT - A	30776	2016	Lucknow	Shubham Kumar Vs. State Of U.P Thru Prin Secy Animal Husbandry	11/4/2025
275	WRIT - A	23727	2018	Lucknow	Yogendra Giri Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Cooperative Deptt.	11/4/2025
276	WRIT - A	1059	2025	Lucknow	Dr. Gyanvati Dixit Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Secondary Education	11/4/2025
277	APPLICATION U/s 482	4859	2013	Lucknow	Ramesh Kumar Srivastava And Anr. Vs. State Of U.P.	10/4/2025
278	CRIMINAL APPEAL	1226	1983	Allahabad	Ashraf Vs. State Of U.P.	10/4/2025
279	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	2611	2020	Allahabad	Usman Ali Vs. State Of U.P. And 12 Others	10/4/2025
280	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	16146	2024	Allahabad	Sai Nageswar Satchidanand Vs. State Of U.P. And 3 Others	10/4/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
281	SPECIAL APPEAL	788	2024	Allahabad	Banaras Hindu University Vs. Dr Bhaktiputra Rohtam And Another	10/4/2025
282	WRIT - A	23736	2018	Allahabad	Sunil Kumar Seth Vs. State Of U.P. And 3 Others	10/4/2025
283	WRIT - C	1003201	2002	Lucknow	Devesh Chandra Dwivedi Vs. Commissioner Faizabad And 17 Others	10/4/2025
284	WRIT - C	1380	2023	Lucknow	Satish Dhuriya Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Social Welfare	10/4/2025
285	WRIT - C	10619	2025	Allahabad	Ishan Chaudhary And Another Vs. Union Of India And 4 Others	10/4/2025
286	WRIT TAX	1559	2024	Allahabad	M/S B M Computers Vs. Commissioner Commercial Taxes	10/4/2025
287	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	8027	2024	Lucknow	Rajeev Yadav @ Rinku Vs. State Of U.P.	9/4/2025
288	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	9861	2025	Allahabad	Arun Kumar Mishra Vs. State Of U.P.	9/4/2025
289	CRIMINAL APPEAL	275	1986	Allahabad	Bandu Ram Vs. State Of U.P.	9/4/2025
290	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	934	2025	Allahabad	Manjeet Singh @ Inder Vs. State Of U.P. And 2 Others	9/4/2025
291	FIRST APPEAL FROM ORDER	602	2011	Lucknow	U.P. State Rd. Transport Corp. Vs. Smt. Meena Srivastava And Ors.	9/4/2025
292	SPECIAL APPEAL	92	2025	Allahabad	Committee Of Management Vs. State Of U.P. And 3 Others	9/4/2025
293	WRIT - A	14482	2023	Allahabad	Pradip Pal Vs. State Of U.P. And 4 Others	9/4/2025
294	WRIT - A	10689	2024	Allahabad	Sita Ram Sharma And 13 Others Vs. State Of U.P. And 3 Others	9/4/2025
295	WRIT - A	15804	2024	Allahabad	Smt. Puja Yadav @ Pooja Yadav Vs. State Of U.P. And 2 Others	9/4/2025
296	WRIT - B	4903	1993	Allahabad	Sumer Singh Vs. Board Of Revenue And Others	9/4/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
297	WRIT - B	26270	1997	Allahabad	Raj Kumar And Others Vs. Board Of Revenue And Others	9/4/2025
298	APPLICATION U/s 482	29865	2024	Allahabad	Waseem Riaz Vs. State Of U.P. And Another	8/4/2025
299	APPLICATION U/s 482	38746	2024	Allahabad	Maharaj Singh Vs. State of U.P. and Another	8/4/2025
300	WRIT - A	32542	1993	Allahabad	Suleman Vs. Principal S.T. High School And Others	8/4/2025
301	WRIT - A	12975	2022	Allahabad	Pawan Kumar Singh And 5 Others Vs. State Of U.P. And 4 Others	8/4/2025
302	WRIT - A	7119	2023	Allahabad	Ram Sundar Pal Vs. State Of U.P. And 3 Others	8/4/2025
303	WRIT - C	4944	2023	Lucknow	R.S. Filling Station Vs. Indian Oil Corporation Ltd. And Others	8/4/2025
304	WRIT - C	6408	2025	Allahabad	Baby Aaliya (Minor) Vs. State Of U.P. And 7 Others	8/4/2025
305	CRIMINAL APPEAL	442	2013	Allahabad	Ibrahim Vs. State Of U.P.	7/4/2025
306	WRIT - B	285	2025	Lucknow	Kailash Vs. Deputy Director Of Consolidation, Sitapur And Another	7/4/2025
307	WRIT - C	3000010	2001	Lucknow	State Of U.P. Vs. The Additional Commissioner Devi Patan Division Gonda	7/4/2025
308	WRIT - A	4118	2025	Allahabad	Simmi Kumari And Another Vs. Union Of India And 2 Others	5/4/2025
309	APPLICATION U/s 482	551	2025	Allahabad	Devendra Pandey Vs. State Of U.P. And 2 Others	4/4/2025
310	ANTICIPATORY BAIL APPLICATION	362	2025	Lucknow	Jai Singh Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Others	4/4/2025
311	WRIT - A	10478	2022	Allahabad	Sunil Kumar Yadav And 2041 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	4/4/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
312	WRIT - B	287	2025	Lucknow	Jodharam Vs. D.D.C., District Hardoi And Others	4/4/2025
313	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	40524	2024	Allahabad	Amarjeet Pandey Vs. State Of U.P. And 3 Others	3/4/2025
314	WRIT - A	21349	2019	Allahabad	Anees Ahmad Vs. State Of U.P. And 2 Others	3/4/2025
315	WRIT - A	509	2020	Allahabad	Anees Ahmad Vs. State Of U.P. And 2 Others	3/4/2025
316	WRIT - C	28104	2024	Allahabad	Sri Krishna And Another Vs. Union Of India And 5 Others	3/4/2025
317	WRIT - A	1680	2025	Allahabad	Chanchal Sonkar Vs. Chairman, State Bank Of India And 5 Others	2/4/2025
318	WRIT - C	14904	2016	Allahabad	Ramji And 10 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	2/4/2025
319	WRIT - C	25120	2020	Allahabad	Rajendra Prasad And 9 Others Vs. District Magistrate And Another	2/4/2025
320	WRIT - C	3033	2025	Lucknow	Ramesh Kumar Singh Vs. Commissioner, Lucknow Division, And Others	2/4/2025
321	WRIT TAX	1406	2025	Allahabad	M/S Merino Industries Ltd. Vs. State Of U.P. And Another	2/4/2025
322	ANTICIPATORY BAIL APPLICATION	118	2025	Lucknow	Tatheer Jafri Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Lko.	1/4/2025
323	CRIMINAL APPEAL	10426	2024	Allahabad	Kaushal Vs. State Of U.P. And Another	1/4/2025
324	APPLICATION U/S 528 BNSS	4657	2025	Allahabad	Babloo And Another Vs. State Of U.P. And Another	1/4/2025
325	WRIT - A	15751	2023	Allahabad	Sarvesh Kumar Vs. General Manager, Punjab National Bank And Another	1/4/2025
326	WRIT - A	12070	2024	Allahabad	Nagendra Kumar Vs. State Of U.P. And 7 Others	1/4/2025
327	WRIT - A	12596	2024	Allahabad	Sudhir Kumar Agarwal Vs. Union Of India And 2 Others	1/4/2025
328	WRIT - A	20607	2024	Allahabad	Devendra Kumar Verma Vs. State Of U.P. And 3 Others	1/4/2025
329	WRIT - C	35050	2019	Lucknow	Sunita Nishad And Another Vs. Debt Recovery Appellate Tribunal And Others	1/4/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
330	WRIT - C	169	2025	Allahabad	Veer Bahadur Singh Vs. Hindustan Petroleum Corporation Ltd. And 2 Others	1/4/2025
331	WRIT - C	2884	2025	Lucknow	Smt. Susheela Devi Vs. State Of U.P. Thru. Secy. Revenue, Lko. And Others	1/4/2025



द्वितीय तिमाही 2025 के पूर्ण पीठ के निर्णयों की सूची (अप्रैल से जून तक)

S.NO.	CASE TYPE	CASE NUMBER	YEAR	AT	PARTY NAME	DATE OF DECISION	JUDGMENT TYPE
1	MATTERS UNDER ARTICLE 227	612	2024	Lucknow	Onkar Nath Gaur And Another Vs. District Magistrate/President Tribunal Lko. And 2 Others	27/05/2025	Final AFR
2	WRIT - A	4460	2013	Lucknow	Jai Prakash Sharma And 2 Others Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Housing And Urban Planning And Another	23/05/2025	Interlocutory Non AFR
3	MATTERS UNDER ARTICLE 227	4747	2019	Allahabad	Jeera Devi And Another Vs. Additional District Judge Court No.12, Varanasi And 2 Others	16/05/2025	Interlocutory Non AFR
4	WRIT - B	757	2024	Lucknow	Kaushal Kishore And Others Vs. Deputy Director Of Consolidation / Chief Revenue Officer, Gonda And Others	7/5/2025	Interlocutory Non AFR
5	WRIT - C	905	2025	Lucknow	Brij Mohan Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Panchayati Raj Lko. And 2 Others	5/5/2025	Interlocutory Non AFR
6	WRIT - C	46645	2011	Allahabad	Atar Singh Vs. State of U.P. and Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
7	WRIT - C	32719	2011	Allahabad	Om Prakash And Others Vs. State of U.P. and Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
8	WRIT - C	45072	2011	Allahabad	Kartar Singh And Others Vs. State of U.P. and Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
9	WRIT - C	42329	2011	Allahabad	Atar Singh And Others Vs. State of U.P. and Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
10	WRIT - C	24295	2010	Allahabad	Mawasi Vs. State Of U.P. Thru. P.S. Industrial Devp. And Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR

S.NO.	CASE TYPE	CASE NUMBER	YEAR	AT	PARTY NAME	DATE OF DECISION	JUDGMENT TYPE
11	WRIT - C	6281	2011	Allahabad	Pratap Singh Khari And Another Vs. State of U.P. and Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
12	WRIT - C	41019	2011	Allahabad	Pradeep Singh And Others Vs. State of U.P. and Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
13	WRIT - C	30022	2011	Allahabad	Harit Rai Rana Vs. State of U.P. and Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
14	WRIT - C	27539	2011	Allahabad	Pramod Khari And Others Vs. State of U.P. and Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
15	WRIT - C	40621	2011	Allahabad	Jagdeep Singh And Others Vs. State of U.P. and Others	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
16	WRIT - A	22052	2020	Lucknow	Heera Man Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Co-operative And Ors.	2/5/2025	Interlocutory Non AFR
17	WRIT - C	3858	2022	Lucknow	Smt. Asiya Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. (Social Welfare Deptt.) And Others	1/5/2025	Interlocutory Non AFR
18	WRIT - C	905	2025	Lucknow	Brij Mohan Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Panchayati Raj Lko. And 2 Others	25/04/2025	Interlocutory Non AFR
19	WRIT - A	22052	2020	Lucknow	Heera Man Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Co-operative And Ors.	24/04/2025	Interlocutory Non AFR
20	WRIT - C	905	2025	Lucknow	Brij Mohan Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Panchayati Raj Lko. And 2 Others	21/04/2025	Interlocutory Non AFR

S.NO.	CASE TYPE	CASE NUMBER	YEAR	AT	PARTY NAME	DATE OF DECISION	JUDGMENT TYPE
21	WRIT - C	905	2025	Lucknow	Brij Mohan Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Panchayati Raj Lko. And 2 Others	17/04/2025	Interlocutory Non AFR
22	WRIT - C	905	2025	Lucknow	Brij Mohan Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Panchayati Raj Lko. And 2 Others	15/04/2025	Interlocutory Non AFR
23	WRIT - C	32719	2011	Allahabad	Om Prakash And Others Vs. State of U.P. and Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
24	WRIT - C	41019	2011	Allahabad	Pradeep Singh And Others Vs. State of U.P. and Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
25	WRIT - C	42329	2011	Allahabad	Atar Singh And Others Vs. State of U.P. and Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
26	WRIT - C	40621	2011	Allahabad	Jagdeep Singh And Others Vs. State of U.P. and Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
27	WRIT - C	45072	2011	Allahabad	Kartar Singh And Others Vs. State of U.P. and Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
28	WRIT - C	30022	2011	Allahabad	Harit Rai Rana Vs. State of U.P. and Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
29	WRIT - C	27539	2011	Allahabad	Pramod Khari And Others Vs. State of U.P. and Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
30	WRIT - C	6281	2011	Allahabad	Pratap Singh Khari And Another Vs. State of U.P. and Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
31	WRIT - C	46645	2011	Allahabad	Atar Singh Vs. State of U.P. and Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
32	WRIT - C	24295	2010	Allahabad	Mawasi Vs. State Of U.P. Thru. P.S. Industrial Devp. And Ors.	11/4/2025	Interlocutory Non AFR

S.NO.	CASE TYPE	CASE NUMBER	YEAR	AT	PARTY NAME	DATE OF DECISION	JUDGMENT TYPE
33	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	1708	2024	Allahabad	Mohd Sarfaraz Vs. State Of U.P. Through Its Secretary Home Dept. And 3 Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
34	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	1049	2024	Allahabad	Dharmendra @ Bheema And Another Vs. State Of U.P. And 4 Others	11/4/2025	Interlocutory Non AFR
35	MATTERS UNDER ARTICLE 227	4747	2019	Allahabad	Jeera Devi And Another Vs. Additional District Judge Court No.12, Varanasi And 2 Others	4/4/2025	Interlocutory Non AFR



सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

हम आशा करते हैं की **“न्यायाभा-न्याय की किरण”** के इस तृतीय संस्करण ने अपेक्षानुसार आप विद्वान पाठकगण को उत्तर प्रदेश के न्यायिक इतिहास के संदर्भ में ज्ञानसंवर्धन की प्राप्ति कराई होगी।

इसी क्रम में, **“न्यायाभा-न्याय की किरण”** के साथ ही हमारे अन्य प्रकाशन आपके पठन हेतु उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1. ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (e-AHCR)

- क. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इतिहास के सारांश के साथ ही
- ख. हिन्दी में अनुवादित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय,
- ग. सर्वोच्च न्यायालय के हिन्दी में अनुवादित निर्णय,
- घ. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक निर्णय।
- च. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय द्वारा पारित हिन्दी में अनुवादित निर्णय / अंतिम आदेश
- छ. विभिन्न अधिनियम(हिन्दी में तथा हिन्दी में अनुवादित) और
- ज. एक निःशुल्क सर्व इंजन, जो दिए गए कीवर्ड के आधार पर न्यायालय के निर्णयों की खोज करता है, तथा मूल और इसके अनुवादित संस्करण दोनों के लिए कार्य करता है। साथ ही इसमें विभिन्न अन्य फ़िल्टर मानदंड जैसे वाद शीर्षक, माननीय न्यायमूर्ति का नाम, तटस्थ उद्धरण, आदि भी उपलब्ध हैं, और किसी भी प्रकार की खोज को मूल्यवान बनाते हैं।

2. ई पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय के प्रथम अंक में चौथी चौरा मुकदमे में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अनुवादित निर्णय तथा द्वितीय अंक में केशव सिंह प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित किया गया । इसके आगामी अंकों में अन्य ऐतिहासिक मुकदमों में पारित निर्णयों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा।

न्यायाभा-न्याय की किरण संपादक मण्डल

श्री अरविन्द वर्मा,
(एच.जे.एस.) संयुक्त निबंधक (न्या.)
(एससीएमएस)/(समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)
प्रधान संपादक

श्री विवेक श्रीवास्तव,
संयुक्त निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
संपादक

श्री विनोद कुमार त्रिपाठी,
अनुभाष अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
उप-संपादक

डॉ. अनुपम श्रीवास्तव,
समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
सह-संपादक

पदेन सदस्य

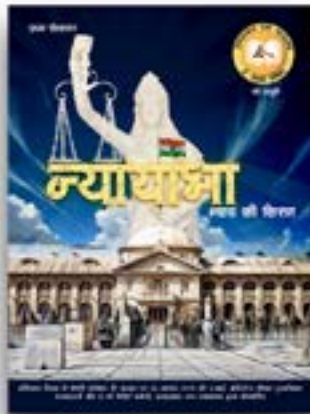
श्री मनीष कुमार सिंह,
समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

विधि प्रतिवेदक

श्री आशीष कुमार, सुश्री गौरी दूबे, सुश्री निधि वर्मा, श्री यावर मुख्तार, सुश्री अर्चना सिंह

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

न्यायाभा न्याय की किरण



ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय





न्यायाभा - न्याय की किरण